. पूर्व मध्य रेलवे
(निर्माण संगठन)

कार्यालय,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)
पूमरे/महेन्द्रूघाट/पटना

- All Chief Engineers/ECR/Con/MHX, Patna.
 (NE, Central, Planning, North, SE, SD,NW, South, NC & GB).
- CSTE/Con/North & South/ECR/MHX, Patna.
- CEE/Con/MHX, Patna.
- All Dy. CEs/Con/ MHX, Patna (North, South, TS, Design, General, ROB, PM & Survey)
- All Dy. CEs/Con Of Field Units,
 (DNR, RGD,MGS, BRKA, DHN, Renukut, Chopan, Singrauli, HZME-I & II, Hajipur-I & II, Bettiah, NKE SPJ-I, II, III & IV, & Muzaffarpur).
- Dy. CSTE/Con/DNR, DHN, CPU & SPJ, SPJ-I.
- Dy. CEE/Con/MHX/Patna/North (SPJ), South/MHX & CPU.
- Dy CME/GLP, DyCEE/GLP, SMM/Con/MHX

Sub: - Deputation:Consolidation of Instructions (Revised MC No. 57).
Ref: (1) Railway Board's letter No. F(E)II/2021/DE/1/1(MC) Dated: 23.06.2022, *(RBE No. 72/2022).*
(2) GM(P)/ECR/HJP's letter No-ECR-HQ0PERS(RULE)/8/2022 Com. No. 162637 Dated:11.07.2022,*(PCPO's Sl No. 76/2022)*

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

A copy of above referred letter on the subjet matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक – यथोपरि।

DA: As above

Digitally Signed by Alok Srivastava
Date: 22-07-2022 17:44:08
Reason: Approved

(Alok Srivastava)
Sr. Personnel Officer/Con
For CAO/Con/MHX/patna

Copy to:-

1. Secy. to CAO/Con/South for kind information of CAO/C/South.
2. Secy. to CAO/Con/North for kind information of CAO/C/North.
3. Secy. to CAO/Con/GLP for kind information of CAO/C/GLP.
4. CA/Personnel - for uploading on WEBSITE of Construction Organization.
5. All CSWI/Con/MHX
6. OS/R & D/Pers,/Con/MHX.

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

RBE No. 72/2022

PCPO's Sl No.76/2022

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/8/2022 Com.No.162637)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषयः-Deputation:Consolidation of Instructions (Revised MC No. 57).

संदर्भः-Railway Board's letter No.F(E) II/2021/DE/1/1(MC) Dated: 23-06-2022

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally Signed by Manoj Ku Choudhary
Date: 11-07-2022 13:53:35
Reason: Approved

(मनोज कुमार चौधरी)
सकाधि/ईएसएम
कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

प्रतिलिपि/– निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर–कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार (Government of India)

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

प्रतिनियुक्ति

पर

मास्टर परिपत्र सं. – 57

(जून, 2022 में अपडेटेड)

Master Circular No. 57
(Updated in June, 2022)

On

Deputation

57

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

Revised MC No. 57
RBE No. 72/2022

No. F(E)II/2021/DE/1/1(MC)

New Delhi, Dated 23.06.2022

General Managers, N.R.
All Indian Railways,
Production Units,
Metro Railway, Kolkata,
And others,

Sub: Deputation –Consolidation of instructions.

Master Circular No. 57 incorporating consolidated instructions in respect of Deputation was issued vide Board's letter No. F(E)/2001/DE/1/1(MC) dated 05.11.2001. Since then, certain modifications/revisions of the rules governing Deputation have taken place. As such, a revised Master Circular incorporating instructions so far has been brought out and is sent herewith.

If any circular current on the subject has been lost sight of, the same should not be ignored and should be treated as valid and operative. Further, in case any doubt arises, only the original circulars issued from time to time may be relied upon.

2. Please acknowledge receipt.

Vmakhijani

(Vikas Makhijani)
Dy. Director Finance (Estt.)II
Railway Board

DA: As above.

O/C

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी
Issue with Enclosure
हस्ताक्षर
Signature.....
जारी की तिथि
Date of Issue.....

(1) 29/06/22.

DEPUTATION

Subject: Transfer on deputation/foreign service of Central Government Employees to ex-cadre posts under the Central Government/State Governments/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies, Universities/UT Administration, Local Bodies etc. and vice-versa – Regulation of pay, Deputation (duty) Allowance, tenure of deputation/foreign service and other terms and conditions – regarding.

.....

Application:-

These orders will apply to all Central Government employees, who are regularly appointed on deputation/foreign service in accordance with Recruitment Rules of the ex-cadre posts, under the same or some other Departments of Central Government or under the State Governments/Union Territories Administration/Local Bodies or under Central/State PSUs/Autonomous Bodies etc. set up or controlled by Central/State Governments provided the foreign service under such PSUs/autonomous bodies has been permitted in relaxation of appointment on immediate absorption basis. These orders will also cover the cases of regular appointment on deputation/foreign service of employees of State Government/local bodies etc. as well as PSUs/Autonomous Bodies of Central/State Governments as per recruitment rules in the Central Government.

2. However, the following cases shall not be covered under these orders for whom separate orders exist:-

a. Members of the All India Services and those deputed to posts, whose terms are regulated under specific statutory rules or orders;
b. Officers appointed on deputation to posts under the Central Staffing Schemes (CSS) for whom separate orders as issued from time to time will continue to apply;
c. Deputation to posts operated outside India;
d. Appointments of a specific category of employees to a specified class of posts, such as appointments made in the Personal Staff of Ministers etc., in respect of which special orders are already in existence. However, the terms and conditions set out in this O.M. will apply to those cases to the extent these are not specifically covered under such special orders.
e. Appointment of the nature of deemed deputation or transfers to ex-cadre posts made in exigencies of service with the specific condition that no deputation (duty) allowance will be admissible – e.g. (i) interim arrangements in the event of conversion of a Government office/organization or a portion thereof into a PSU/ autonomous body or vice-versa; and (ii) appointments to the same post in another cadre.

3. Scope of Term 'deputation/foreign service' – Restrictions on treating an appointment as on deputation/foreign service.

3.1 The terms deputation/foreign service will cover only those appointments that are made by transfer on a temporary basis provided the transfer is outside the normal field of deployment and is in public interest. The question whether the transfer is outside the normal field of deployment or not will be decided by the authority which controls the service or post from which the employee is transferred.

3.2 The following types of appointments will not be treated as deputation/foreign service for the purposes of these orders:

(a) Appointment of serving employees made either by promotion or by direct recruitment from amongst open market candidates whether on permanent or temporary basis.

(b) Permanent appointment made by transfer.

(c) Temporary appointment made on the basis of personal requests of employees.

(d) Arrangements necessitated by staff imbalances arising on re-organization of offices on the same or different stations, subject to the specific condition that no deputation (duty) allowance will be admissible in such cases.

3.3 A person in a higher Grade Pay/scale of pay shall not be appointed on deputation to a post in lower Grade Pay/scale of pay if the deputation is from Central Government to Central Government and also in cases where the scale of pay and dearness allowance in the parent cadre post and ex-cadre post are similar.

3.4 However, no appointment on deputation/foreign service shall be made from/to Central Government/an organization where the **Scale of Pay** and DA **pattern** in the parent cadre post and ex-cadre post are dissimilar, if the basic pay in the parent cadre increased by one increment plus dearness allowance(s) including interim relief, if any, admissible to a person in the parent cadre post exceeds the basic pay plus dearness allowance (s) including interim relief, if any, at the maximum of the **Pay Level in the pay matrix**/pay scale of the ex-cadre post.

"In the revised pay structure, the maximum of the scale would mean the last Cell of any Level in the Pay Matrix"

Illustration:-

In case of an appointment on deputation basis, from an organization to an ex-cadre post in the Central Government in Level -7 in the Pay Matrix, where the pay scale and DA pattern of the parent cadre post in Central Government or dissimilar, no appointment can be made to such post, if the basic pay in the parent cadre increased by one increment plus Dearness Allowance (s) including interim relief, if any, admissible in the parent cadre post exceeds the basic pay at the maximum of the Level -7 of the Pay Matrix i.e. Rs. 1,42,400/- plus Dearness Allowance(s), including interim relief, if any.

(Ref: DoP&T's O.M. No. 2/9/2018-Estt. (Pay-II) dated 12th April, 2021 adopted vide Board's letter No. F(E)II/2018/Dep./1(1)/1 dated 07.02.2022).

4. Exercise of option

4.1 An employee appointed on deputation/foreign service, may elect to draw either the pay in the scale of pay of deputation/foreign service post or his/her basic pay in the parent cadre plus deputation (duty) allowance thereon plus personal pay, if any. However, in case of Government employees on deputation/foreign service to CPSEs, this option will not be allowed and their pay will be governed in terms of the orders issued by Department of Public Enterprises vide OM dated 26.11.2008 and clarifications issued thereafter.

4.2 The borrowing authority shall obtain the option of the employee within one month from the date of joining the ex-cadre post unless the employee has himself furnished the option.

4.3 The option once exercised shall be final.

4.4 However, the employee may revise the option under the following circumstances which will be effective from the date of occurrence of the same:

(a) When he/she receives proforma promotion or is appointed to non-functional selection grade or up-gradation of scale in the parent cadre.

(b) When he/she is reverted to a lower grade in the parent cadre;

(c) When the scale of pay of the parent post on the basis of which his emoluments are regulated during deputation/foreign service or of the ex-cadre post held by the employee on deputation/foreign service is revised either prospectively or from a retrospective date.

(d) Based on the revised/same option of the employee, in the event of proforma promotion/appointment to non-functional Selection Grade/revision/up gradation of scales of pay in the parent cadre, his/her pay will be re-fixed with reference to the revised entitlement of pay in the parent cadre. However, if the initial option was for the pay scale of the deputation post and no change in option already exercised is envisaged, the pay already drawn in deputation post will be protected if the pay re-fixed is less.

Note: Revision in the rates of DA, HRA or any other allowance either in the parent or borrowing organization shall not be an occasion for revision of the earlier option.

4.5 If the pay of an employee in his cadre post undergoes downward revision, the pay in the ex-cadre post is also liable to be re-fixed on the basis of revised pay and in accordance with the revised option or existing option if the employee does not revise his option.

5. Pay fixation

5.1 When an employee on deputation/Foreign Service elects to draw pay in the Level (in Pay Matrix) attached to the ex-cadre post, his/her pay may be fixed as under:

(i) Deputation from Central Government to Central Government

If the Level (in Pay Matrix) of the ex-cadre post is higher than that of the parent cadre post, an increment shall be given in the Level (in Pay Matrix) of parent cadre post and he/she shall be placed at a Cell equal to the figure show arrived at in the Level (in Pay Matrix) of the ex-cadre post; and if no such Cell is available in the Level (in Pay Matrix) of the ex-cadre post, he/she shall be placed at the next higher Cell in that Level.

In case Levels (in Pay Matrix) of the ex-cadre post and the parent cadre post of the employee are identical, the employee good continue to draw his/her basic pay.

The basic pay from time to time after pay fixation should not exceed the maximum of the pay in the level of the ex-cadre post.

(ii) In foreign service/Reverse Foreign Service

(a) When the Level (in Pay Matrix)/ Pay Scale of the post in the parent cadre and that attached to ex-cadre post are based on the same index level and the DA pattern is also same, the pay may be fixed as under (i) above.

(b) If the appointment is made to a post whose pay structure and/or Dearness Allowance (DA) pattern is dissimilar to that in the parent organization, pay may be fixed by adding one increment to the basic pay of the substantive post in the parent cadre, (and if he/she was drawing pay at the maximum of the scale, by the increment last drawn) and equating the pay show raised plus dearness allowance (and additional or ad-hoc dearness allowance, Interim relief etc., if any) with emoluments comprising of basic pay plus DA, ADA, Interim relief ect., if any, admissible, in the borrowing organization and the pay may be fixed at the stage in the Pay Scale/ Level (in Pay Matrix) of the ex-cadre at which total emoluments admissible in the ex-cadre post as above equal the emoluments drawn in the cadre and if there is no such stage, pay may be fixed at the next higher stage.

In case of reverse foreign service if the appointment is made to post whose pay structure and/ or DA pattern is dissimilar to that in the parent organization, the option for electing to draw the basic pay in the parent cadre [along with the Deputation (Duty) Allowance thereon and the personal pay, if any] will not be available to such employee. It is also clarified that Terms and Conditions in case of appointment on deputation made prior to 01.07.2017 shall be continue as per the mutually agreed terms and conditions already set.

(c) The basic pay from time to time after pay fixation should not exceed the maximum of the pay in the level of the ex-cadre post.

5.2 In cases of appointment from one ex-cadre post to another ex-cadre post where the employee opts to draw pay in the Level (in Pay Matrix)/ Pay Scale of the ex-cadre post, the pay in the second or subsequent ex-cadre post should be fixed under the normal rules with reference to the pay in the cadre post only. However, in respect of appointments to ex-cadre posts carrying Level (in Pay Matrix)/ Pay Scale identical to that of the ex-cadre post(s) held on an earlier occasion(s), it may be ensured that the pay drawn in subsequent appointment should not be less than the pay drawn earlier.

5.3 In cases of appointments to a second or subsequent ex-cadre post(s) in a higher Level (in Pay Matrix)/ Pay Scale than that of the previous ex-cadre post, the pay may be fixed with reference to the pay drawn in the cadre post and if the pay so fixed happens to be less than the pay drawn in the previous ex-cadre post, the difference may be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay. This is subject to the condition that on both the occasions, the employee should have opted to draw pay in the Level (in Pay Matrix)/ Pay Scale attached to the ex-cadre posts.

(Ref: DoP&T's O.M. No. 2/10/2018-Estt. (Pay-II) dated 2nd March, 2021 adopted vide Board's letter No. F(E)II/2018/Dep./1(1)/1 dated 07.02.2022).

Note-1: The term parent post and basic pay means the post held on regular basis in the parent organization and pay drawn/admissible in such a post respectively.

Note-2: An officer who may be holding a higher post on adhoc basis in the cadre at the time of proceeding on deputation/foreign service would be considered to have vacated the post held on adhoc basis and proceeded on deputation/foreign service from his/her regular post. During the period of deputation/foreign service, he/she shall earn notional increments in the parent cadre post. On revision, if he/she is re-appointed to the higher post on regular or adhoc basis his pay will get fixed with reference to the pay admissible in the lower post on the date of such re-appointment. In such cases, if his pay gets fixed at a stage lower than that of his junior(s) who continued to serve in the cadre, no stepping up will be admissible as per extant rules in so far as Central Government employees are concerned. However, if the pay so fixed is less than the pay drawn earlier while holding the post on ad-hoc basis the pay earlier drawn will be protected. Therefore, those Central Government employees who are already holding a higher post on ad-hoc basis or expecting it shortly in the parent cadre may weigh all relevant considerations before opting for deputation/foreign service. This note of caution will be applicable to employees of other organizations wishing to apply for posts on deputation in Central Government, if governed by similar rules in parent organization.

Note-3: Pay of an officer appointed on deputation/foreign service on ad hoc basis pending selection of a regular incumbent may also be regulated in accordance with provisions of Para 5.1 & 6.1 of these instructions.

Note-4: The provisions of this Para as well as Para 6 will not apply to appointments on Personal Staff of Ministers. Such appointments will be regulated by separate specific orders issued by the Government in that behalf.

6. Deputation (duty) Allowance

6.1 The Deputation (Duty) Allowance admissible shall be at the following rates:

a. In case of deputation within the same station the Deputation (Duty) Allowance will be payable at the rate of 5% of basic pay subject to a maximum of Rs. 4500 p.m.
b. In case of deputation involving change of station, the Deputation (Duty) Allowance will be payable at the rate of 10% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 9000 p.m.
c. The ceiling will further rise by 25 percent each time Dearness Allowance increases by 50 percent.
d. Basic Pay, from time to time, plus Deputation (Duty) Allowance shall not exceed the basis pay in the apex level i.e. Rs. 2,25,000/-. In the case of Government servants receiving Non- Practicing Allowance, their basic pay plus Non-Practicing Allowance plus Deputation(Duty) Allowance shall not exceed the average of basic pay of the revised scale applicable to the Apex Level and the Level of the Cabinet Secretary i.e. Rs. 2,37,500/-.

Note: 1 Basic pay in the revised pay structure (the pay structure based on 7th Central Pay Commission recommendations) means the pay drawn by the deputationist, from time to time, in the prescribed Level, in Pay Matrix, of the post held by him substantively in the parent cadre, but does not include any other type of the pay like personal pay etc.

Note: 2 In cases where the basic pay in parent cadre has been upgraded on account of non-functional upgradation (NFU), Modified Assured Career Progression Scheme (MACP), Non-Functional Selection Graded (NFSG), etc., the upgraded basic pay under such upgradations shall not be taken into account for the purpose of Deputation (Duty) Allowance.

Note: 3 In the case of a Proforma Promotion under Next Below Rule (NBR): If such a Proforma Promotion is in a Level of the Pay Matrix which is higher than that of the ex-cadre post, the basic pay under such Proforma Promotion shall not be taken into account for the purpose of Deputation (Duty) Allowance. However, if such a Proforma Promotion under NBR is in a Level of the pay matrix which is equal to or below that of the ex-cadre post, Deputation (Duty) Allowance shall be admissible on the basic pay of the parent cadre post allowed under the proforma promotion, if opted by the deputationist.

3.1 In cases where the basic pay in parent cadre has been upgraded (upto Level 13A) on account of Non-Functional Upgradation (NFU), Modified Assured Career Progression Scheme (MACP), Non Functional Selection Grade (NFSG), etc., and the Officer has opted for such upgraded pay of the parent cadre, in that event, the upgraded basic pay under such upgradations shall not be taken into account for the purpose of Deputation (Duty) Allowance. In such cases,

the Deputation (Duty) Allowance will be calculated taking the basic pay of the parent cadre which the officer was getting before such upgradation and the amount of the same would be further regulated every year on the basis of the pay arrived at by giving annual increments all the presumptive pay.

3.2 However, if the upgradation is to Level 14 or above, he shall be given the option to draw upgraded basic pay under such upgradations without Deputation (Duty) Allowance or the pay which he was drawing before such upgradation with Deputation (Duty) Allowance, whichever is more beneficial as per the option of the officer.

3.3 In the case of **Proforma Promotion** under Next Below Rule (NBR), if such a **Proforma Promotion** (upto Level 13A) is in a Level of the Pay Matrix which is higher than that of the ex-cadre post, and the officer has opted the upgraded pay of the Proforma Promotion, the basic pay under such Proforma Promotion shall not be taken into account for the purpose of Deputation (Duty) Allowance. Deputation (Duty) Allowance will be calculated taking into account the basic pay which the officer was getting before such Proforma Promotion. The amount of Deputation (Duty) Allowance would be calculated on the basis of the pre-upgraded presumptive pay that the officer was drawing prior to Proforma Promotion and the amount of the same would be further regulated every year on the basis of the pay arrived at by giving annual increments on the presumptive pay.

3.4 However, if such a Proforma Promotion under NBR is in a Level of the pay matrix which is equal to or below that of the ex-cadre post, Deputation (Duty) Allowance shall be admissible on the basic pay of the parent cadre post allowed under the Proforma Promotion, if opted by the deputationist.

3.5 However, if the upgradation is to Level 14 or above of the Pay Matrix, he shall be given the option to draw the upgraded basic pay under such Proforma Promotion without Deputation (Duty) Allowance or the pay which he was drawing before grant of Proforma Promotion with Deputation (Duty) Allowance, whichever is more beneficial as per the option of the officer. The amount of Deputation (Duty) Allowance would be calculated on the basis of pre-upgraded presumptive pay that the officer was drawing prior to the grant of Proforma Promotion and the amount of the same would be further regulated every year on the basis of the pay arrived at by giving annual increments on the presumptive pay.

Note: 4 In case of Reverse Foreign Service, if the appointment is made to post whose pay structure and/ or Dearness Allowance (DA) pattern is dissimilar to that in the parent organization, the option for electing to draw the basic pay in the parent cadre (along with the Deputation (Duty) Allowance thereon and the personal pay, if any) will not be available to such employee.

Note: 5 The term 'same station' for the purpose will be determined with reference to the station where the person was on duty before proceeding on deputation.

Note: 6 Where there is no change in the headquarters with reference to the last post held, the transfer should be treated as within the same station and when there is change in headquarters it would be treated as not in the same station. So far as places falling within the same urban agglomeration of the old headquarters are concerned, they would be treated as transfer within the same station.

The rates of deputation (duty) allowance as above shall take effect from 01.07.2017.

(Ref: DoP&T's O.M. No. 2/11/2017-Estt. (Pay-II) dated 24th Nov. 2017 & 15th March, 2021 adopted vide Board's letter No. F(E)II/2017/DE/1/2 dated 26.12.2017 & 17.01.2022 respectively).

6.2 Special rates of deputation (duty) allowance may be admissible under separate orders in any particular area on account of the condition of living there being particularly arduous or unattractive. Where special rate is more favorable than that given in Para 6.1 above, employees deputed to the area will be given the benefit of the special rate.

6.3.1 If an employee with the permission of the competent authority, proceeds on deputation/foreign service from one ex-cadre post to another ex-cadre post in the same or another organization without reverting to his parent cadre, and if the second ex-cadre post is at the same station as the first one, the rate of deputation (duty) allowance would remain unchanged.

6.3.2 In cases where a person on deputation/foreign service is transferred by the borrowing authority from one station to another without any change in the post held by him, the rate of deputation (duty) allowance will be re-fixed as per 6.1 (b).

7. Admissibility of pay, allowances & benefits while on deputation/foreign service

7.1 Any project allowance admissible in a project area in the borrowing organization may be drawn in addition to deputation (duty) allowance.

7.2 Any special allowance granted to an employee in the parent Department under FR 9(25) or a corresponding rule of parent organization should not be allowed in addition to deputation (duty) allowance. However, the borrowing department may allow in addition to deputation (duty) allowance, under special circumstances, any special allowance attached to the post held by the employee in his/her parent Department, by suitably restricting the deputation (duty) allowance. This will require the specific and prior approval of Department of Personnel & Training.

7.3 In case special allowance is attached to the scale of pay of the ex-cadre post and the employee has opted to draw pay in that scale, then, in addition to the pay in that scale, he will also be entitled to draw such special allowance. However, such special allowance will not admissible if he has opted to draw pay in the parent cadre scale/grade pay plus deputation (duty) allowance.

7.4 Personal pay, if any, drawn by an employee in his parent department will continue to be admissible on deputation/foreign service if he/she opts to draw pay in the parent cadre scale/grade pay plus deputation (duty) allowance. No deputation (duty) allowance on this personal pay will however, be admissible.

7.5 Increments - The employee will draw increment in the parent cadre grade or in the scale of pay/grade pay attached to the deputation post as the case may be, depending on whether he has opted for the parent cadre pay plus deputation (duty) allowance or the pay scale/grade pay of the deputation post. If he has opted for pay scale/grade pay of the deputation post, notional increments shall also continue to accrue to him in the post held on regular basis in the parent cadre/organization for the purpose of regulation of pay on repatriation to the parent post at the end of the tenure.

7.6 Admissibility of allowances and benefits while on deputation/Foreign Service.

(a) Such allowances as are not admissible to regular employees of corresponding status in the borrowing organization shall not be admissible to the officer on deputation/Foreign Service, even if they were admissible in the parent organization.

(b) Following allowances will be regulated with mutual consent of the lending and borrowing organization:

(i) HRA/Transport Allowance.

(ii) Joining time and Joining Time Pay.

(iii) Travelling Allowances and Transfer T.A.

(iv) Children Education Allowance.

(v) LTC.

(c) Following allowances/facilities will be regulated in accordance with the rules as explained against each:

(i) Dearness Allowance – The employee shall be entitled to dearness allowance at the rates prevailing in the borrowing organization or in the lending organization depending on whether he has opted to draw pay in the pay scale/grade pay of the ex-cadre post or the parent grade plus deputation (duty) allowance.

(ii) Medical Facilities – This will be regulated in accordance with the rules of the borrowing organization.

(iii) Leave – An officer on deputation/Foreign Service shall be regulated by the Leave Rules of the parent organization. If however an employee proceeds from vacation department to non-

vacation department, or vice-versa, he shall be governed by Leave Rules of the borrowing organization. At the time of reversion from the deputation post to the parent cadre, the borrowing organization may allow him/her leave not exceeding two months. The employee should apply for further leave to his Cadre Controlling Authority.

7.7. Leave salary/Pension/NPS Contribution.

(i) As at present, allocation of leave salary and pension contribution between different Ministries/Departments of Central Government and between Central and State Government has been dispensed with. In such cases of deputation from Central Government to State Government and vice-versa, liability for bearing leave salary vests with the Department from which the officer proceeds on leave or which sanctioned leave and no contributions are payable to the lending organization. Liability for pension/employee's contribution to CPF will be borne by the parent department, to which the officer permanently belongs at the time of retirement and no proportionate contribution will be recovered.

(ii) In case of deputation of Central Government employees on foreign service terms to Central Public Sector Undertakings/ State Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies/ etc., leave salary contribution (except for the period of leave availed of on foreign service) and pension contribution/CPF (Employer's share) contribution are required to be paid either by the employee himself or by the borrowing organization to the Central Government.

(iii) In case of reverse deputation the employer's share of Contributory Provident Fund for the period on deputation to the Central Government will be borne either by the employee himself or the borrowing organization i. e. Central Government depending on the terms of deputation. A clear mention of the stipulation on whether the Central Government or the employee would bear the liability may be made in the terms of deputation.

(Ref: DoP&T O.M. No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated: 15th February, 2012 adopted vide Board's letter no. 2010/F(E)II/1(1)/1 dated 28.06.2013.

(iv) In case of employees covered under New Pension Scheme (NPS), the borrowing department shall make matching contribution to the NPS account of the employees.

8. Tenure of deputation/foreign service.

8.1- The period of deputation/ foreign Service shall be as per the Recruitment Rules of the ex-cadre post or 5 years in case no tenure regulations exist for the ex-cadre post.

8.2- In case where the period of deputation/ foreign service prescribed in the recruitment rules of the ex-cadre post is 5 years or less than 5 years, the Administrative Ministry/ borrowing organization may grant extension upto the 6th year after obtaining orders of their Secretary (in the Central Government)/ Chief Secretary (in the State Government)/ equivalent officer (in respect of other cases) and for the 7th year with the approval of the Minister of the borrowing Ministry/

Department and in respect of other organizations with the approval of the Minister of the borrowing Ministry/ Department with which they are administratively concerned.

These orders shall come into effect from 18.05.2018 i.e the date of issue of DOP&T's OM dated 18.05.2018.

(Ref: DoP&T O.M. No. 2/6/2018-Estt. (Pay-II) dated 18.05.2018 adopted vide Board's letter no. F(E)II/2018/Dep./1(1)/1 dated 26.06.2018.

8.3.1 If the borrowing organization wishes to retain an officer beyond the prescribed tenure, it shall initiate action for seeking concurrence of lending organization, individual concerned etc. six months before the date of expiry of tenure. In no case it should retain an official beyond the sanctioned term unless prior approval of the Competent Authority to grant further extension has been obtained.

If the administrative Ministries/ Departments and other borrowing organizations wish to retain an officer beyond 5 years, they may extend tenure of deputation covered by OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated 17th June, 2010, where absolutely necessary in public interest, upto a period not exceeding 7 years at a stretch. This shall be done with the approval of the Minister of the borrowing ministry/Department concerned and in respect of other organizations with the approval of the Minister of the borrowing ministry/Department with which they are administratively concerned, keeping in view the exigencies and subject to fulfillment of all other requirements such as willingness and vigilance clearance of the Officer concerned, NOC of the lending authority, UPSC/ ACC approval wherever applicable. Thus, no case of extension shall be referred to Department of Personnel &Training.

In cases where the necessity to have deputation tenures longer than seven years is felt, the concerned administrative Ministries /Departments/ borrowing organizations may amend the relevant Recruitment Rules of such deputation post accordingly, after following the requisite procedure. No extension of deputation beyond 7 years is to be allowed unless provided in the relevant Recruitment Rules of such deputation post. It is reiterated that no case for extension beyond five years shall be referred to DoPT.

It is also clarified that cases which are not covered by the OM dated 17.06.2010 including those where Central Government is neither lending authority nor borrowing authority, will continue to be decided in terms of the relevant provisions/rules/instructions etc. governing them.

These orders shall come into effect from 17.02.2016 i.e the date of issue of DOP&T's OM dated 17.02.2016.

(Ref: DoP&T O.M. No. 2/6/2016- Estt. (Pay-II) dated 17th February, 2016 adopted vide Board's letter no. 2010/F(E)II/1(1)/1 dated 21.04.2016.

Note: The deputationist officer is deemed to have been relieved on the dated of expiry of the deputation period unless the competent authority has with requisite approvals, extended the period of deputation, in writing, prior to the date of its expiry. It will be the responsibility of the immediate superior officer to ensure that the deputationist does not overstay. In the event of the officer overstaying for any reason whatsoever, he/she is liable o disciplinary action and other adverse Civil/Service consequences which would include the period of unauthorized overstay not being counted for service for the purpose of pension and that any increment due during the period of unauthorized overstay being deferred with cumulative effect, till the date on which the officer rejoins his parent cadre. No post facto approval for regularization of overstay on deputation would be allowed.

In 56th Report of the Action Taken Replies of the Government on the recommendations/ observations contained in the 51st Report on the Demands for Grants (2012-13) of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions by the Department Related Parliamentary Standing Committee has observed inter alia that policy on deputation envisages mobility of personnel between Departments etc so that the employee as well as the Departments benefit from the process. The tendency of treating deputation as a tool to ensure more comfortable or even home-town postings is required to be discouraged. The instrument of deputation serves public interest only when there is a rational connection with the qualifications and work experience of the deputationist, and the deputation continues for a reasonable period. This would also ensure that both the lending as well as the borrowing department benefit from the experience/ exposure of deputationist officer.

All the Ministries/ Departments are therefore advised to ensure that deputations are strictly monitored by lending Government Departments. Requests of the borrowing authorities for no objection to extension of deputation should be closely scrutinized to curb tendency to allow extensions on extraneous grounds, and overstay.

These instructions are in addition to the previous OMs on the subject, and in no way dilute the responsibility of the deputationist and borrowing departments to ensure that the deputationist are relieved in time on completion of their approved tenure.

(Ref: DoP&T O.M. No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated 1st March, 2011 & 16th May, 2013 adopted vide Board's letter no. 2010/F(E)II/1(1)/1 dated 13.05.2011 & 28.06.2013 respectively.

8.3.2 . Where extension is granted, the official concerned will continue to be allowed deputation (duty) allowance only up to the fifth year, if he/she has opted to draw deputation (duty) allowance.

(Ref: DoP&T O.M. No. 2/6/2016- Estt. (Pay-II) dated 23rd February, 2017 adopted vide Board's letter no. 2010/F(E)II/1(1)/1 dated 19.06.2017.

8.4 There shall be a mandatory 'cooling off' period of three years after every period of deputation/foreign service up to Joint Secretary level posts and one year for Additional Secretary level posts.

Note-1: In view of this provision, the Ministry of Railways etc. are advised not to sponsor name of any such officer who is not likely to complete the mandatory cooling off period by the time the officer is likely to be selected. Further, while sponsoring the name of any such officer who has not completed the mandatory cooling off period, they may inform the borrowing department that the officer will be relieved only after he/she completes the mandatory "cooling off" period. The proposals for relaxation of the provision for "cooling off" period would be considered only in exceptional cases. Such proposals may be referred to this Department in advance with full justification, after obtaining the approval of Minister –in-charge of the cadre authority of the officer. It may also be noted that under no circumstances should any officer be relieved in anticipation of relaxation by this Department.

(Ref: DoP&T O.M. No. 2/1/2012-Estt. (Pay-II) dated 4th January, 2013 adopted vide Board's letter no. 2010/F(E)II/1(1)/1 dated 28.06.2013.

Note-2: The requirement of cooling off shall, however, not be insisted upon for appointment in personal staff of Union Ministers. However, those officers who have not completed the required 'cooling off' period from previous deputation and are posted in personal staff of Minister will have to revert to their parent cadre once their term in the personal staff of Minister ends for whatever reason. A prior consent may be obtained from such officers that they are willing to be appointed in personal staff of Minister in waiver of 'cooling off' requirement, fully aware of the condition that they would be reverted back to their parent cadre once their term in personal staff of Minister ends for whatever reason and they will have to complete the 'cooling off' period afresh.

Provided, if an officer is appointed from the personal staff of one Minister to the personal staff of another Minister, the cooling off shall not be insisted upon subject to overall ceiling of 10 years in personal staff of Minister and sub-ceiling of 5 years as PS/OSD.

Provided further that the officers who are appointed in the personal staff of Minister after completion of required cooling off period from the previous deputation can be appointed to another deputation, in continuation of deputation in the personal staff of Ministers, if duly selected, subject to overall ceiling of deputation, other conditions relating to deputation and NOC of the parent cadre/organization. The admissibility of Deputation (Duty) Allowance will, however, be only upto 5th year counting from the initial deputation.

(Ref: DoP&T O.M. No. 2/11/2016- Estt. (Pay-II) dated 20th July, 2018 adopted vide Board's letter no. F(E)II/2018/Dep./1(1)/1 dated 18.10.2018.

8.5 A Central Government employee shall be eligible for deputation/foreign service to posts in State Government/ State Government Organizations/Government of UTs/Government of UT's organizations/ Autonomous Bodies, Trusts, Societies, PSUs etc. not controlled by the Central Government only after he has completed 9 years of service and is clear from the vigilance angle.

Note: However, Ministries/Departments may consider and allow relaxations to para-8.5 above with the approval of their Minister-in-charge in following category of cases:-

a. A Central Government employee after completion of 7 years of service in his/her cadre, may be allowed go to on deputation to any State of North Eastern Region and Jammu and Kashmir and Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep or on foreign service to any entity controlled by and located in the said States/ Union Territories.
b. Central Government employees may be allowed to go on deputation to State Governments/Union Territories or on foreign service to any entity controlled by and located in the States/ Union Territories on spouse ground after completion of 6 years of service in the cadre.

The cases not covered by above dispensation will not be considered for relaxation.

These orders shall come into effect from 18.10.2018 i.e the date of issue of DOP&T's OM dated 18.10.2018.

(Ref: DoP&T O.M. No. 2/15/2017-Estt. (Pay-II) dated 18th Oct. 2018 adopted vide Board's letter No. F(E)II/2018/Dep./1(1)/1 dated 05.12.2018)

8.6 If during the period of deputation/foreign service, on account of proforma promotion in the parent cadre the official concerned becomes entitled to a higher Pay Scale/ Pay Band & Grade Pay in the parent cadre vis-à-vis that of the ex-cadre post, the official shall complete his/her normal/extended tenure of deputation already sanctioned with the approval of the competent authority. The pay shall be regulated as under:

(a) If the Grade Pay of the officer in the parent cadre becomes higher than that of the deputation post after getting proforma promotion, he may be allowed the pay in the pay band +Grade Pay of the post of which he is promoted, if he so opts. In such cases extension in deputation after an employee has received the proforma promotion may be considered as per the instructions contained in paras 8.1 to 8.3.2.

(Ref: DoP&T O.M. No. 6/5/2012-Estt.(pay-II) dated 30th Nov., 2012 adopted vide Board's letter no. 2010/F(E)II/1(1)/1 dated 28.06.2013.

(b) If he draws the pay in the pay band + Grade pay attached to the deputation post, on reversion to his parent cadre, his pay may be fixed by allowing him notional increments in his regular post in the parent department + the Grade pay attached to it.

(c) If the Grade pay of the officer in the parent cadre becomes higher than that of the deputation post on getting financial upgradation under the ACP/MACP scheme, the officer may be allowed to draw the pay in the pay band + Grade Pay to which he becomes entitled to under the ACP/MACPS, if opted for by him, as laid down in Para 27 of Annexure I to the DOPT OM No. 35034/3/2008 –Estt. (D) dated 19th May, 2009.

9. Premature reversion of deputationist to parent cadre.

Normally, when an employee is appointed on deputation/foreign Service, his services are placed at the disposal of the parent Ministry/ Department at the end of the tenure. However, as and when a situation arises for premature reversion to the parent cadre of the deputationist, his services could be so returned after giving an advance notice of at least three months to the lending Ministry/ Department and the employee concerned.

10. Relaxation of conditions.

Any relaxation of these terms and conditions will require the **prior concurrence** of the Department of Personnel & Training.

11. Date of effect.

These orders will take effect from 1.1.2006 and shall be applicable to all officers who were on deputation on 1.1.2006.

2. Sub: Rates of Daily Allowance for journeys on duty in various countries.
Ref: Board's letters No. F(E)II/2000/AL1/1 dated 24.10.2000 & 12.06.2001.

The revised rates of daily allowance for journeys on duty in various countries after reducing the daily allowance rates @ 25% by Ministry of External Affairs issued vide their order no. Q/FD/695/3/2000 dated 01.12.2000 were circulated on Railways vide board's letter no. referred to above.

In pursuance of the Ministry of Finance's directives, the Ministry of External Affairs have decided to withdraw the 25% cut imposed on per diem allowance rates in various countries/territories vide their order no. Q/FD/695/3/2000 dated 21.09.2010. A copy of the revised rates of daily allowance admissible is enclosed as annexure for information and guidance. These revised rates of daily allowance are applicable on the Railways w.e.f. 07.12.2010 as stipulated in Board's letter dated 07.12.2010.

(Ref: MEA's order no. Q/FD/695/3/2000 dated 21.09.2010 adopted vide Board's letter no. 2010/F(E)II/AL1/1 dated 07.12.2010 & corrigendum dated 20.01.2011.

3. **Sub:** Rates of Daily Allowance for journeys on duty in various countries.
Ref: Board's letters No. 2010/F(E)II/AL1/1 dated 07.12.2010 & 20.01.2011.

The revised rates of daily allowance for journeys on duty in various countries issued by Ministry of External Affairs vide their order no. Q/FD/695/3/2000 dated 21.09.2010 were circulated on Railways vide board's letter no. referred to above.

In pursuance of 7th Central Pay Commission's recommendations and maintenance of status quo on the rates of Daily Allowance, it has been decided by Ministry of External Affairs to continue rates of Daily Allowance for journeys on duty abroad without any change in rates of Daily Allowances mentioned in MEA's order dated 21.09.2010, adopted in Railways vide Board's letter dated 07.12.2010.

(Ref: Board's letter no. 2020/F(E)II/AL1/1 dated 08.12.2020.

4. **Sub:** Categorization of Government officers for entitlement of Daily Allowance on official tours abroad.
Ref: Board's letters No. F(E)II/96/AL1/1 dated 04.02.1997 & 09.12.1998 and No. 2010/F(E)II/AL1/1 07.12.2010.

The rates of daily allowance for journeys on duty in various countries issued vide Ministry of External Affair's order no. Q/FD/695/1/96 dated 11.11.1996, Q/FD/695/1/98 dated 15.09.1998 and Q/FD/695/3/2000 dated 21.09.2010 were circulated vide board's letter no. referred to above.

In continuation of Board's letters referred to above, a copy of Ministry of External Affairs order no. Q/FD/695/2/2012 dated 17.07.2012 categorizing Government officers on the basis of Grade Pay for entitlement of DA on official tours abroad has been circulated to all Railways vide Board's letter no. 2010/F(E)/1(1)//1 dated 27.09.2012. These will apply mutatis mutandis to Railway officers and staff deputed abroad and would take effect from the date of issue of Board's letter.

(Ref: MEA's order no. Q/FD/695/2/2012 dated 17.07.2012 adopted vide Board's letter no. 2010/F(E)II/1(1)/1 dated 27.09.2012.

Encl: I

Copy of Ministry of External Affair's order no.Q/FD/695/3/2000 dated 21.09.2010.

Government of India
Ministry of External Affairs
(FD Section)

New Delhi, 21st September, 2010

ORDER

Subject: - Restoration of full Daily Allowance rates.

...

In supersession of this Ministry's Order of even number dated 1st December, 2000 conveying reduced rates of Daily Allowance in pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure's Office Memorandum No. 7(4) E-Coord/2000 dated 24.9.2000 regarding guidelines on expenditure management, and enforcement of austerity measures, sanction of the President is hereby accorded to withdraw the 25% cut imposed on per diem allowance for journeys on duty abroad. The Daily Allowance rates in various countries / territories are given in the Annexure.

2. This Order takes effect from September 21, 2010.

3. All other terms and conditions on Daily Allowance for journeys on duty abroad shall remain unchanged.

4. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their I.D. No.19053/1/2010-E.IV, dated 10th September, 2010, and Internal Finance Division of this Ministry vide Dy.No.1977/AS(FA)/10, dt.15.9.2010.

Sd/-
(Ajay Swarup)
Joint Secretary to the Government of India

Annexure

S.No.	Name of the country	Daily Allowance (in US $)
1	Afganistan	75.00
2	Albania	75.00
3	Algeria	75.00
4	American Samoa	60.00
5	Angola	75.00
6	Anguilla	75.00
7	Antigua	75.00
8	Argentina	75.00
9	Armenia	75.00
10	Australia	100.00
11	Austria	100.00
12	Azerbaijan	75.00
13	Aruba	75.00
14	Bahamas	75.00

S.No.	Name of the country	Daily Allowance (in US $)
45	Costa Rica	75.00
46	Croatia	75.00
47	Cuba	75.00
48	Cyprus	100.00
49	Crech Republic	75.00
50	Denmark	100.00
51	Djibouti	60.00
52	Dominica	75.00
53	Dominican Rep.	75.00
54	Ecuador	75.00
55	Egypt	75.00
56	El Salvador	75.00
57	Eritrea	60.00
58	Equatorial Guinea	60.00

15	Bahrain	75.00
16	Bangladesh	60.00
17	Bardados	75.00
18	Belgium	100.00
19	Belize	60.00
20	Belarus	75.00
21	Benin	60.00
22	Bermuda	75.00
23	Bhutan	60.00
24	Bollvia	75.00
25	Botswana	75.00
26	Bosnia Herzgovina	75.00
27	Brazil	75.00
28	British Virgin Islands	60.00
29	Brunel	100.00
30	Bulgaria	75.00
31	Burkina Faso	60.00
32	Burundi	60.00
33	Cameroon	60.00
34	Canada	100.00
35	Cape Verde Islands	60.00
36	Cayman Islands	60.00
37	Central African Republic	60.00
38	Chad	60.00
39	Chile	75.00
40	China	100.00
41	Colombia	75.00
42	Comoros	60.00
43	Congo	60.00
44	Cooks Island	60.00

59	Estonia	75.00
60	Ethiopia	60.00
61	Fiji	100.00
62	Finland	100.00
63	France	100.00
64	French Guinea	75.00
65	Gabon	60.00
66	Gambia	60.00
67	Gaza (PNA)	75.00
68	Georgia	75.00
69	Germany	100.00
70	Ghana	60.00
71	Gibraltar	100.00
72	Greece	100.00
73	Grenada	75.00
74	Guadeloupe	75.00
75	Guam	60.00
76	Guatemala	75.00
77	Guinea	60.00
78	Guinea Bissau	60.00
79	Guyana	75.00
80	Halti	75.00
81	Hondures	75.00
82	Hong Kong	100.00
83	Holy See (Vatican)	100.00
84	Hungary	75.00
85	Iceland	100.00
86	Indonesia	75.00
87	Iran	75.00
88	Iraq	75.00

S.No.	Name of the country	Daily Allowance (US $)
89	Ireland	100.00
90	Israel	75.00
91	Italy	100.00
92	Ivory Coast	60.00
93	Jamaica	75.00
94	Japan	100.00
95	Jordan	60.00

S.No.	Name of the country	Daily Allowance (US $)
143	Niue	60.00
144	Norway	100.00
145	Oman	75.00
146	Pacific Islands (Trust territory)	75.00
147	Pakistan	60.00
148	Panama	75.00
149	Papua New	100.00

96	Kempuchea (Cambodia)	75.00
97	Kazakhstan	75.00
98	Kenya	60.00
99	Kiribati	60.00
100	Korea (North)	60.00
101	Korea (South)	100.00
102	Kuwait	75.00
103	Kyrgyzstan	75.00
104	Laos	60.00
105	Latvia	75.00
106	Lebanon	60.00
107	Lesotho	60.00
108	Liberia	60.00
109	Libya	60.00
110	Lithuania	100.00
111	Luxembourg	100.00
112	Macao	100.00
113	Madagascar	60.00
114	Malawi	60.00
115	Malaysia	75.00
116	Maldives	60.00
117	Mali	60.00
118	Malta	100.00
119	Martinique	75.00
120	Macedonia	75.00
121	Mauritania	60.00
122	Mauritius	60.00
123	Mexico	75.00
124	Micronesia	100.00
125	Moldova	75.00
126	Monaco	60.00
127	Montenegro	75.00
128	Mongolia	60.00
129	Montserrat	75.00
130	Morocco	60.00
131	Mozambique	60.00
132	Mayanmar	60.00
133	Namibia	75.00
134	Nauru	60.00
135	Nepal	60.00
136	Netherland	100.00

	Guinea	
150	Paraguay	75.00
151	Puerto Rico	75.00
152	Principality of Liechtenstein (Vaduz)	100.00
153	Peru	75.00
154	Phillippines	75.00
155	Poland	75.00
156	Portugal	100.00
157	Qatar	75.00
158	Reunion	60.00
159	Republic of Palau	75.00
160	Republic of Slovenia	100.00
161	Republic of San Marino	100.00
162	Romania	100.00
163	Rwanda	60.00
164	Samoa	60.00
165	Sai Tome & Principe	60.00
166	Saudi Arabia	75.00
167	Senegal	60.00
168	Serbia	75.00
169	Seychelles	75.00
170	Sierra Leone	60.00
171	Singapore	75.00
172	Slovak Republic	75.00
173	Solomon Islands	60.00
174	Sornalia	60.00
175	South Africa	75.00
176	Spain	100.00
177	Sri Lanka	60.00
178	St. Kitts & Nevis	60.00
179	St. Lucia	60.00
180	St. Vincent & Grenadines	60.00
181	Sudan	60.00
182	Surinam	75.00
183	Swaziland	60.00
184	Sweden	100.00
185	Switzerland	100.00
186	Syria	75.00
187	Tajikistan	75.00
188	Tanzania	60.00
189	Thailand	75.00
190	Togo	60.00

137	Netherlands Antilles	75.00
138	New Caledonia	60.00
139	New Zealand	100.00
140	Nicaragua	75.00
141	Niger	60.00
142	Nigeria	60.00
S.No.	Name of the country	Daily Allowance (US $)
197	Tuvalu	60.00
198	Uganda	60.00
199	U.A.E	60.00
200	U.K.	100.00
201	U.S.A.	100.00
202	Russian Federation	75.00
203	Ukraine	75.00
204	Uruguay	75.00
205	US Virgin Islands	60.00
206	Uzbekistan	75.00
207	Vanuatu	75.00
208	Venezuela	75.00
209	Vietnam	60.00
210	Yemen	60.00
211	Walls Futune Islands	60.00
212	Zaire	60.00
213	Zambia	60.00
214	Zimbabwe	75.00

191	Tonga	60.00
192	Trinidad & Calcos	75.00
193	Tunisia	60.00
194	Turkey	100.00
195	Turkmenistan	75.00
196	Turks & Calcos	75.00

Encl: II

Copy of Ministry of External Affair's order No. Q/FD/695/1/90 dated 04.07.1997

ORDER

Sub: Daily Allowance Rates.

Sanction of the President is hereby accorded to the amending of this Ministry's Order of even number dated 11.11.1996 on the above mentioned subject, to the extent given below.

2. The following para may be substituted in place of para 2.

"2. The rates of Daily Allowance shall be the same throughout a country. However, for tours by officers within the country of their posting or for tours from one Mission to another by officers posted abroad, Daily Allowance for each tour shall be regulated as follows:

For the first seven days	full admissible DA
For the next seven days	75% of full admissible DA
For subsequent additional days	50% of full admissible DA"

3. The following para may be substituted in place of para 3.

"3. For tours by officers posted in India, from India to one or more countries abroad, Daily Allowance for each tour shall be regulated as follow:

For the first fourteen days	Full admissible DA
For the next fourteen days	75% of full admissible DA
For subsequent additional days	60% of full admissible DA"

4. The following para may be substituted in place of para 4.

"4. Daily Allowance shall be regulated as per para 2 and 3 above and restricted to rank Foreign Allowance in case of tours/temporary duty exceeding 30 days. The number of days shall be counted on the basis of stay at a particular station only."

5. The following may be added to para 13.

"Subject to local laws, regulations and administrative procedures, Daily Allowance (DA) may be paid in US Dollars, if the officer drawing the DA so desires."

6. This order shall take effect from the date of its issue.

7. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their Dy. No. L-3738/SE/97 dated 24.04.97 and Integrated Finance of this Ministry vide their Dy. No. 2926/Dir.(Fin.)/97 dated 02.06.97.

Sd/-
(Praveen Verma)

Director to the Government of India

Encl: III

No. Q/FD/695/2/2012

Government of India
Ministry of External Affairs
(FD Section)

New Delhi, the 17th July, 2012

ORDER

Subject: Categorization of Government officers for entitlement of Daily Allowance on official tours abroad.

In continuation of Ministry's Order No. Q/FD/695/1/90 dated 11th November, 1996 and Ministry's Order No. Q/FD/695/3/2000 dated 21st September 2010 sanction of President is accorded to Categorization of Government officers in the following manner, for entitlement of Daily Allowance on official tours abroad.

	Category of Officer	DA admissible
A.	Officers drawing grade pay of Rs. 5400 per month and above	100% of full DA
B.	Officers drawing Grade pay below Rs. 5400/- per month and above Rs. 1800 per month	75% of full DA
C.	Officers drawing Grade Pay of Rs. 1800/- per month and below	33% of full DA

2. This order takes effect from 13th July, 2012.

3. The above categorization of officers based on grade pay is in accordance with the revised pay structure introduced subsequent to implementation of the 6th Central Pay recommendations.

4. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their I.D. No. 19053/1/2010-E.IV dated 13.07.2012 and Finance-I Branch of this Ministry vide their Dy. No. 3527/Dir (F)/12 dated 17/7/2012.

Sd/-
(Sunjay Sudhir)
Joint Secretary to the Government of India

Copy to:

1. All Indian Missions / Posts abroad

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

संशोधित मास्टर परिपत्र सं. 57
आरबीई सं. 72/2022

सं. एफ(ई)।।/2021/डीई/1/1(एमसी) नई दिल्ली, दिनांक 23.06.2022

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
उत्पादन इकाइयां,
मेट्रो रेलवे, कोलकाता,
एवं अन्य,

विषय: प्रतिनियुक्ति -समेकित अनुदेश।

प्रतिनियुक्ति से संबंधित समेकित अनुदेशों को शामिल करते हुए बोर्ड के दिनांक 05.11.2001 के पत्र सं. एफ(ई)।।/2001/डीई/1/1 (एमसी) के तहत मास्टर परिपत्र सं. 57 जारी किया गया था। उसके बाद से, प्रतिनियुक्ति को शासित करने वाले नियमों में कुछ आशोधन/संशोधन हुए हैं। अत: अब तक जारी किए गए अनुदेशों को शामिल करते हुए एक संशोधित मास्टर परिपत्र इसके साथ भेजा रहा है।

यदि इस विषय पर जारी किया गया कोई परिपत्र छूट गया हो, तो उसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और उसे वैध और लागू माना जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की शंका होने पर, समय-समय पर जारी केवल मूल परिपत्रों पर ही निर्भर होना चाहिए।

2. कृपया पावती दें।

विकास माखीजानी

(विकास माखीजानी)
उप निदेशक वित्त (स्थापना)।।
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त।

प्रतिनियुक्ति

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन, स्थानीय निकायों आदि के अंतर्गत संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरंण/विदेश सेवा तथा इसके विपरीत - वेतन का विनियमन, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा अवधि और अन्य निबंधनों एवं शर्तों के संबंध में।

.....

लागू किया जाना:-

ये आदेश केन्द्रीय सरकार के उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य विभाग में अथवा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन/स्थानीय निकायों अथवा केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित या नियंत्रित हों, बशर्ते कि ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अंतर्गत विदेश सेवा को तत्काल आमेलन के आधार पर नियुक्ति में छूट देकर अनुमति दी गई है। इन आदेशों में राज्य सरकार/स्थानीय निकायों आदि के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार में भर्ती नियमों के अनुसार केन्द्रीय/राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर नियमित नियुक्ति/विदेश सेवा के मामले भी शामिल हैं।

2. बहरहाल, इन आदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित मामले शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए पृथक आदेश मौजूद हैं:-

क. अखिल भारतीय सेवा के सदस्य तथा उन पदों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी, जिनकी शर्तें विशिष्ट सांविधिक नियमों या आदेशों के अंतर्गत विनियमित की जाती हैं;

ख. केन्द्रीय स्टाफिंग योजना (सीएसएस) के अंतर्गत पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी, जिनके लिए समय-समय पर यथा जारी पृथक आदेश लागू होते रहेंगे;

ग. भारत से बाहर परिचालित पदों पर प्रतिनियुक्ति;

घ. विशिष्ट कोटि के कर्मचारियों की विनिर्दिष्ट श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां, जैसे मंत्रियों आदि के व्यक्तिगत स्टाफ में की गई नियुक्तियां, जिनके लिए पहले से ही विशेष आदेश मौजूद हैं। बहरहाल, इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित की गई निबंधन एवं शर्तें

उन मामलों पर उस सीमा तक लागू होंगे कि ये मामले ऐसे विशेष आदेशों के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं।

ङ. मानी गई प्रतिनियुक्ति के स्वरूप की नियुक्ति अथवा विशिष्ट शर्त के साथ कि कोई प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता ग्राह्य नहीं होगा, सेवा की अत्यावश्यकता के कारण किए गए संवर्ग बाह्य पदों के स्थानांतरण - अर्थात् (i) किसी सरकारी कार्यालय/संगठन अथवा उसके किसी हिस्से के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में परिवतर्तित किए जाने अथवा इसके विपरीत परिवर्तन की स्थिति में आंतरिक व्यवस्थांए; और (ii) अन्य संवर्ग में समान पद पर नियुक्तियां।

3. 'प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा' शब्द का क्षेत्र - किसी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के रूप में मानने पर प्रतिबंध।

3.1 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के अंतर्गत केवल वही नियुक्तियां शामिल होंगी जो अस्थायी आधार पर स्थानांतरण द्वारा की जाती हैं बशर्ते स्थानांतरण परिनियोजन के सामान्य क्षेत्र से बाहर हो तथा लोक हित में हो। स्थानांतरण परिनियोजन के सामान्य क्षेत्र से बाहर है या नहीं इस प्रश्न का निर्णय उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उस सेवा या पद को नियंत्रित करता है, जिससे कर्मचारी स्थानांतरित हुआ है।

3.2 इन आदेशों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रकार की नियुक्तियों को प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में रूप में नहीं माना जाएगा:

(क) सेवारत कर्मचारियों की नियुक्ति या तो पदोन्नति द्वारा अथवा स्थायी या अस्थायी आधार पर खुले बाजार से उम्मीदवारों की सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) स्थानांतरण द्वारा की गई स्थायी नियुक्ति।

(ग) कर्मचारियों के निजी अनुरोध के आधार पर की गई अस्थायी नियुक्तियां।

(घ) विशेष शर्त के अध्यधीन कि ऐसे मामलों में कोई प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता ग्राह्य नहीं होगा उसी अथवा भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर कार्यालयों के पुनर्संगठन से उत्पन्न कर्मचारियों के असंतुलन द्वारा अनिवार्य व्यवस्थाएं।

3.3 उच्चतर ग्रेड पे/वेतनमान वाले किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर निचले ग्रेड पे/वेतनमान में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार

से केन्द्रीय सरकार में हो और ऐसे मामलों में भी जहां मूल संवर्ग पद तथा संवर्ग बाह्य पद में वेतनमान और महंगाई भत्ता समान हो।

3.4 बहरहाल, जहां मूल संवर्ग पद और संवर्ग बाह्य पद में **वेतनमान** तथा **महंगाई भत्ता प्रतिमान** समान न हों, यदि मूल संवर्ग में मूल वेतन में एक वेतनवृद्धि जमा महंगाई भत्ता (भत्ते) में वृद्धि होती है, जिसमें मूल संवर्ग पद में किसी व्यक्ति को अनुमत अंतरिम सहायता शामिल है, यदि कोई हो, मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता (भत्ते) सहित अंतरिम सहायता से अधिक हो, यदि कोई हो, तो वहां पर केन्द्रीय सरकार/किसी संगठन से/तक प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।

"संशोधित वेतन संरचना में, वेतनमान के अधिकतम का आशय पे मैट्रिक्स में किसी स्तर का अंतिम सेल होगा"

स्पष्टीकरण:-

यदि मूल संवर्ग में मूल वेतन में अंतरिम सहायता यदि कोई हो, सहित एक वेतनवृद्धि जमा महंगाई भत्ता (भत्ते) की वृद्धि मूल संवर्ग पद में अनुमत वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 के अधिकतम पर मूल वेतन से अधिक होती है अर्थात् रुपए 1,42,400/- जमा महंगाई भत्ता (भत्ते) सहित अंतरिम सहायता, यदि कोई हो। पे मैट्रिक्स में लेवल-7 में किसी संगठन से केन्द्रीय सरकार में संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के मामले में, जहां केन्द्रीय सरकार में मूल संवर्ग पद में वेतनमान और महंगाई भत्ते का प्रतिमान सादृश्य अथवा असादृश्य हो, ऐसे पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी,

(संदर्भ: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 12 अप्रैल, 2021 का का.ज्ञा. सं. 2/9/2018-ऐस्ट (पे-।।) जिसे बोर्ड के दिनांक 07.02.2022 के पत्र सं. एफ(ई)।।/2018/डेप/1(1)1 के तहत अपनाया गया).

4. **विकल्प दिया जाना**

4.1 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में नियुक्त कर्मचारी को अपना वेतन या तो प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के पद के वेतनमान में अथवा मूल संवर्ग के अपने मूल वेतन जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते सहित व्यक्तिगत वेतन यदि कोई हो, के साथ लेने का विकल्प प्राप्त हो। बहरहाल, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर गए सरकारी कर्मचारियों के मामले में इस विकल्प की अनुमति नहीं होगी और उनका वेतन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 26.11.2008 के का.ज्ञा. के तहत जारी आदेशों तथा तत्पश्चात् जारी किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार शासित होगा।

4.2 यदि कर्मचारी स्वयं विकल्प नहीं दे देता तो उधार लेने वाले प्राधिकारी को कर्मचारी से संवर्ग बाह्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर विकल्प प्राप्त करना होगा।

4.3 एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4.4 बहरहाल, कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत विकल्प को बदल सकता है, जो इसकी प्राप्ति की तारीख से प्रवृत्त होगा:

(क) जब कर्मचारी को प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त हो जाए अथवा वह अपने मूल संवर्ग में अकृत्यिक चयन ग्रेड में नियुक्त हो गया हो अथवा मूल संवर्ग में वेतनमान का अपग्रेडेशन हो गया हो।

(ख) जब वह अपने मूल संवर्ग में निम्न ग्रेड में प्रत्यावर्तित हो गया हो;

(ग) जब मूल पद का, जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान कर्मचारी की परिलब्धियों को विनियमित किया जाता है अथवा कर्मचारी द्वारा प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर धारित संवर्ग बाह्य पद का वेतनमान या तो भविष्यलक्षी अथवा भूतलक्षी तारीख से संशोधित किया जाता है।

(घ) कर्मचारी के संशोधित/समान विकल्प के आधार पर प्रोफार्मा पदोन्नति/अकृत्यिक चयन ग्रेड में नियुक्ति/मूल संवर्ग में वेतनमान के संशोधन/अपग्रेडेशन की स्थिति में, कर्मचारी का वेतन मूल संवर्ग में संशोधित वेतन की हकदारी के संदर्भ में पुनर्निर्धारित किया जाएगा। बहरहाल, यदि प्रारंभिक विकल्प प्रतिनियुक्ति वाले पद के वेतनमान के लिए हो और पहले दिए गए विकल्प में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया गया हो तो पुनर्निर्धारित वेतन कम होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पद पर पहले लिए गए वेतन को संरक्षण दिया जाएगा।

टिप्पणी: मूल अथवा उधार लेने वाले संगठन में महंगाई भत्ते, मकान किराए भत्ते अथवा अन्य भत्तों में संशोधन पहले दिए गए विकल्प को बदलने का कोई कारण नहीं होगा।

4.5 यदि किसी कर्मचारी का उसके संवर्ग पद में वेतन संशोधन के बाद कम हो जाता है, तो संवर्ग बाह्य पद का वेतन भी संशोधित वेतन के आधार पर तथा संशोधित विकल्प अथवा मौजूदा विकल्प, यदि कर्मचारी अपने विकल्प में संशोधन न करे, पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

5. <u>वेतन निर्धारण</u>

5.1 जब कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर संवर्ग बाह्य पद से जुड़े स्तर (पे मैट्रिक्स में) में वेतन आहरित करने का विकल्प देता है, तो उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाए:

(i) <u>केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति</u>

यदि संवर्ग बाह्य पद का स्तर (पे मैट्रिक्स में) मूल संवर्ग के पद से अधिक है तो मूल संवर्ग पद के स्तर (पे मैट्रिक्स में) में एक वेतनवृद्धि दी जाएगी और कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद के जिस स्तर (पे मैट्रिक्स में) पर पहुँच गया है उसे उसी आंकड़े के समक्ष सेल में रखा जाएगा; और यदि संवर्ग बाह्य पद के स्तर (पे मैट्रिक्स में) ऐसा सेल उपलब्ध नहीं है तो कर्मचारी को उस स्तर में अगले उच्चतर सेल में रखा जाएगा।

यदि संवर्ग बाह्य पद और कर्मचारी के मूल संवर्ग पद के स्तर (पे मैट्रिक्स में) समान हैं तो यह बेहतर है कि कर्मचारी अपने मूल वेतन का आहरण करता रहे।

वेतन निर्धारण के पश्चात् समय-समय पर मूल वेतन संवर्ग बाह्य पद के स्तर में अधिकतम वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) <u>विदेश सेवा में जाने/विदेश सेवा से वापिस आने पर</u>

(क) जब मूल संवर्ग तथा संवर्ग बाह्य पद से जुड़े पद का स्तर (पे मैट्रिक्स में)/वेतनमान समान सूचकांक स्तर पर आधारित हो और महंगाई भत्ते का स्वरूप भी समान हो, तो वेतन उपर्युक्त (i) के अंतर्गत निर्धारित किया जाए।

(ख) यदि नियुक्ति ऐसे पद पर की जाती है जिसकी वेतन संरचना और/अथवा महंगाई भत्ते का स्वरूप मूल संगठन से भिन्न है, तो वेतन का निर्धारण मूल संवर्ग में मूल पद के मूल वेतन में एक वेतनवृद्धि जोड़कर किया जाए (और यदि वह अंतिम वेतनवृद्धि जोड़कर वेतनमान के अधिकतम में वेतन ले रहा हो) तथा इस बढ़े हुए वेतन को महंगाई भत्ता जोड़कर (तथा अतिरिक्त अथवा तदर्थ मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत आदि, यदि कोई हो) उधार लेने वाले संगठन में ग्राह्य वेतन को महंगाई भत्ते, अतिरिक्त महंगाई भत्ते, अंतरिम राहत आदि यदि कोई हो, के बराबर निर्धारित किया जाए तथा संवर्ग बाह्य पद पर ग्राह्य कुल परिलब्धियों के बराबर हैं तथा यदि कोई ऐसा स्तर नहीं है, तो वेतन अगले उच्च स्तर पर निर्धारित किया जाए।

विदेश सेवा से वापस आने के मामले में यदि नियुक्ति उस पद पर की गई है जिसकी वेतन संरचना और/अथवा मंहगाई भत्ते का स्वरूप मूल संगठन में भिन्न है, तो ऐसे कर्मचारी के पास मूल संवर्ग में [उस पर प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते सहित तथा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो] मूल वेतन का आहरण चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 01.07.2017 से पहले की गई प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के मामले में निबंधन एवं शर्तें पहले से निर्धारित पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन एवं शर्तों के अनुसार रहेंगी।

(ग) वेतन निर्धारण के पश्चात् समय-समय पर मूल वेतन संवर्ग बाह्य पद के स्तर में अधिकतम वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.2 एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति के मामलों में जहां कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद के स्तर (पे मैट्रिक्स में)/वेतनमान में वेतन आहरण का विकल्प देता है, वहां दूसरे अथवा परवर्ती संवर्ग बाह्य पदों में वेतन केवल संवर्गीय पद के वेतन के संदर्भ में सामान्य नियमों के तहत निर्धारित की जानी चाहिए। बहरहाल, संवर्ग बाह्य पदों पर नियुक्तियों के संबंध में जिनका स्तर (पे मैट्रिक्स में)/वेतनमान पहले के अवसर (अवसरों) पर धारित संवर्ग बाह्य पद (पदों) के समान है, वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि तदनुरूपी नियुक्ति में आहरित वेतन पहले आहरित वेतन से कम नहीं होना चाहिए।

5.3 पिछले संवर्ग बाह्य पद की तुलना में उच्चतर स्तर (पे मैट्रिक्स में)/ वेतनमान में दूसरे अथवा परवर्ती संवर्ग बाह्य पद (पदों) पर नियुक्तियों के मामलों में वेतन का निर्धारण संवर्ग पर लिए गए वेतन के संदर्भ में किया जाए और यदि इस प्रकार निर्धारित वेतन पिछले संवर्ग बाह्य पद पर लिए गए वेतन से कम बनता है, तो राशि के इस अंतर को वेतन की

भावी वृद्धियों में जोड़े जाने वाले व्यक्तिगत वेतन के रूप में रखने की अनुमति दी जाए। यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि दोनों अवसरों पर कर्मचारी द्वारा संवर्ग बाह्य पदों से जुड़े स्तर (पे मैट्रिक्स में)/वेतनमान में वेतन आहरित करने का विकल्प दिया होना चाहिए।

(संदर्भ: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 02 मार्च, 2021 का का.ज्ञा. सं. 2/10/2018-ऐस्ट. (पे-।।) जिसे बोर्ड के दिनांक 07.02.2022 के पत्र सं. एफ(ई)।।/2018/डेप./1(1)1 के तहत अपनाया गया)।

टिप्पणी-1: मूल पद और मूल वेतन शब्द से अभिप्रेत मूल संगठन में नियमित आधार पर धारित पद तथा क्रमश: उस पद पर आहरित किया गया/ग्राह्य वेतन है।

टिप्पणी-2: प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर जाते समय संवर्ग में तदर्थ आधार पर उच्च पद धारण करने वाले अधिकारी को तदर्थ आधार पर धारित पद को खाली करके तथा अपने नियमित पद से प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में गया हुआ समझा जाएगा। प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा अवधि के दौरान वह अपने नियमित पद पर केवल काल्पनिक वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा। अपने प्रत्यावर्तन पर यदि नियमित अथवा तदर्थ आधार पर उसे उच्च पद पर पुनर्नियुक्त किया जाता है तो पुनर्नियुक्ति की तारीख को निचले पद पर मिलने वाले वेतन के संदर्भ में उसका वेतन तय किया जाएगा। ऐसे मामलों में यदि उसका वेतन, उसके कनिष्ठ (कनिष्ठों), जो संवर्ग में काम करते रहे, से निचले स्तर पर तय किया जाता तो जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का संबंध है वर्तमान नियमों के अनुसार वेतन में वृद्धि ग्राह्य नहीं है। बहरहाल, इस प्रकार से नियत किया गया वेतन यदि पहले तदर्थ आधार पर धारित किए गए पद पर मिलने वाले वेतन से कम बनता है तो पहले मिलने वाले वेतन को सुरक्षित रखा जाएगा। इसलिए, ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो तदर्थ आधार पर पहले ही उच्च पद धारित किए हुए हैं या इसे निकट भविष्य में मूल संवर्ग में ही प्राप्त करने की आशा रखते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के लिए विकल्प देने से पहले सभी संगत तथ्यों पर विचार कर लेना चाहिए। चेतावनी की यह टिप्पणी अन्य संगठनों के ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर पदों के लिए आवेदन देने के इच्छुक हैं, यदि उनके मूल संगठन में वही नियम लागू होते हों।

टिप्पणी-3: नियमित पदधारी का चयन होने तक प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारी के वेतन को भी इन अनुदेशों के पैरा 5.1 एवं 6.1 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाए।

टिप्पणी-4: इस पैरा के साथ-साथ पैरा 6 के प्रावधान मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ की नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगे। ऐसी नियुक्तियां सरकार द्वारा इनके लिए जारी किए गए अलग विशिष्ट आदेशों द्वारा विनियमित की जाएंगी।

6. <u>प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता</u>

6.1 प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता निम्नलिखित दरों पर ग्राह्य होगा:

क. जब प्रतिनियुक्ति उसी स्टेशन में हो तो प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता मूल वेतन के 5% की दर से देय होगा, किंतु यह 4500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो।

ख. ऐसी प्रतिनियुक्ति के मामले में जहां जहां स्टेशन परिवर्तित होना हो, प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता मूल वेतन के 10% की दर से देय होगा, किंतु यह 9000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो।

ग. महंगाई भत्ते के प्रत्येक बार 50 प्रतिशत बढ़ने पर इस सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

घ. समय-समय पर मूल वेतन जमा प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता शीर्ष स्तर के मूल वेतन अर्थात् 2,25,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा। उस सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो प्रैक्टिसबंदी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उनका मूल वेतन जमा प्रैक्टिसबंदी भत्ता जमा प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता, शीर्ष स्तर के लिए लागू संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत और मंत्रिमंडल सचिव के स्तर अर्थात् 2,37,500/- रुपये से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी:1 संशोधित वेतन संरचना (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना) में मूल वेतन से तात्पर्य प्रतिनियुक्तिधारी द्वारा मूल संवर्ग में वास्तविक रूप से उसके द्वारा धारित पद के पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में समय-समय पर आहरित किया गया वेतन है, परंतु इसमें अन्य प्रकार का वेतन जैसे व्यक्तिगत वेतन आदि शामिल नहीं है।

टिप्पणी:2 ऐसे मामलों में, जहां अकृत्यिक उन्नयन (एनएफयू), संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन स्कीम (एमएसीपी), अकृत्यिक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) आदि के कारण मूल संवर्ग में मूल वेतन को अपग्रेड किया गया है, वहां ऐसे उन्नयनों के अंतर्गत अपग्रेड किए गए मूल वेतन को प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।

टिप्पणी:3 तत्निम्नवर्ती नियम (एनबीआर) के अंतर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति के मामले में: यदि ऐसी प्रोफार्मा पदोन्नति पे मैट्रिक्स के किसी स्तर में है, जो उस संवर्ग बाह्य पद से

उच्चतर है, तो ऐसी प्रोफार्मा पदोन्नति के अंतर्गत मूल वेतन को प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। बहरहाल, यदि एनबीआर के अंतर्गत ऐसी प्रोफार्मा पदोन्नति पे मैट्रिक्स के किसी स्तर में है, जो उस संवर्ग बाह्य पद के बराबर है या कम है तो प्रतिनियुक्तिकर्ता द्वारा विकल्प दिए जाने पर प्रोफार्मा पदोन्नति के अंतर्गत अनुमत मूल संवर्ग पद के मूल वेतन पर प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता ग्राह्य होगा।

3.1 ऐसे मामलों में जहां अकृत्यिक उन्नयन (एनएफयू), संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन स्कीम (एमएसीपी), अकृत्यिक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) आदि के कारण मूल संवर्ग में मूल वेतन को अपग्रेड (स्तर 13ए तक) किया गया है और अधिकारी द्वारा मूल संवर्ग के ऐसे अपग्रेड किए गए वेतन का विकल्प दिया गया हो तो उस मामले में ऐसे उन्नयनों के अंतर्गत अपग्रेड किए गए मूल वेतन को प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। ऐसे मामलों में, प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता मूल संवर्ग का मूल वेतन लेते हुए परिकलित किया जाएगा, जिसे अधिकारी द्वारा ऐसे उन्नयन से पहले प्राप्त किया जा रहा था और इसकी राशि को वार्षिक वेतनवृद्धि, सभी संभावित वेतन देते हुए निकाले गए वेतन के आधार पर आगे प्रत्येक वर्ष विनियमित किया जाएगा।

3.2 बहरहाल, यदि अपग्रेडेशन स्तर-14 या उससे ऊपर है तो कर्मचारी को ऐसे उन्नयनों के अंतर्गत बिना प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के अपग्रेड किया गया मूल वेतन का या प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के साथ ऐसे उन्नयन से पहले जो वेतन आहरित कर रहा था, अधिकारी द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार जो भी अधिक लाभकारी हो, का विकल्प दिया जाएगा।

3.3 तत्निम्नवर्ती नियम (एनबीआर) के अंतर्गत **प्रोफार्मा पदोन्नति** के मामले में, यदि ऐसी **प्रोफार्मा पदोन्नति** (स्तर 13ए तक) पे मैट्रिक्स के किसी स्तर में है, जो संवर्ग बाह्य पद से उच्चतर हो और अधिकारी ने प्रोफार्मा पदोन्नति के अपग्रेड किए गए वेतन का विकल्प दिया हो, तो ऐसी प्रोफार्मा पदोन्नति के अंतर्गत मूल वेतन को प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता उस मूल वेतन को लेखे में लेकर परिकलित किया जाएगा, जिसे अधिकारी द्वारा ऐसी प्रोफार्मा पदोन्नति से पहले प्राप्त किया जा रहा था। प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की राशि को पहले से अपग्रेड किए

गए संभावित वेतन के आधार पर परिकलित किया जाएगा, जिसे अधिकारी द्वारा प्रोफार्मा पदोन्नति से पहले प्राप्त किया जा रहा था और इस राशि को संभावित वेतन पर वार्षिक वेतनवृद्धि देते हुए निकाले गए वेतन के आधार पर आगे प्रत्येक वर्ष विनियमित किया जाएगा।

3.4 बहरहाल, यदि तत्निम्नवर्ती नियम (एनबीआर) के अंतर्गत **प्रोफार्मा पदोन्नति** पे मैट्रिक्स के किसी स्तर में है, जो संवर्ग बाह्य पद के बराबर है या उससे कम है तो प्रतिनियुक्तिकर्ता द्वारा विकल्प दिए जाने पर प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता प्रोफार्मा पदोन्नति के अंतर्गत अनुमत मूल संवर्ग पद के मूल वेतन के आधार पर ग्राह्य होगा।

3.5 बहरहाल, यदि अपग्रेडेशन स्तर-14 या उससे ऊपर है तो कर्मचारी को ऐसी प्रोफार्मा पदोन्नति के अंतर्गत बिना प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के अपग्रेड किया गया मूल वेतन या प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के साथ ऐसी प्रोफार्मा पदोन्नति से पहले जो वेतन आहरित किया जा रहा था, अधिकारी द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार जो भी अधिक लाभकारी हो, का विकल्प दिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की राशि को पहले से अपग्रेड किए गए संभावित वेतन के आधार पर परिकलित किया जाएगा, जिसे अधिकारी द्वारा प्रोफार्मा पदोन्नति से पहले प्राप्त किया जा रहा था और इस राशि को संभावित वेतन पर वार्षिक वेतनवृद्धि देते हुए निकाले गए वेतन के आधार पर आगे प्रत्येक वर्ष विनियमित किया जाएगा।

टिप्पणी:4 विदेश सेवा से वापस आने के मामले में, यदि नियुक्ति उस पद पर की गई है जिसकी वेतन संरचना और/या मंहगाई भत्ते का स्वरूप मूल संगठन में भिन्न है, तो ऐसे कर्मचारी के पास मूल संवर्ग में (प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के साथ तथा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो) मूल वेतन का आहरण चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

टिप्पणी:5 इस उद्देश्य के लिए 'वही स्टेशन' से तात्पर्य उस स्टेशन से है जहां व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व इयूटी पर था।

टिप्पणी:6 पिछले धारित पद के संदर्भ में जब मुख्यालय में कोई परिवर्तन न हो, तो स्थानांतरण उसी स्टेशन में माना जाना चाहिए और जब मुख्यालय में परिवर्तन हो तो इसे वही स्टेशन नहीं माना जाना चाहिए। जहां तक पुराने मुख्यालय के शहरी समुदायों में स्थित स्थानों का संबंध है उन्हें उसी स्टेशन में स्थानांतरण माना जाएगा।

उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की दरें 01.07.2017 से लागू होंगी।

(संदर्भ: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 24 नवम्बर, 2017 एवं 15 मार्च, 2021 का का. ज्ञा. सं. 2/11/2017-एस्ट.(वेतन-।।) जिन्हें क्रमश: बोर्ड के दिनांक 26.12.2017 एवं 17.01.2022 के पत्र सं. एफ(ई)।।/2017/डीई/1/2 के तहत अपनाया गया है)।

6.2 किसी स्थान विशेष में रहने की परिस्थितियों के दुर्गम या अनाकर्षक होने पर अलग आदेशों के अंतर्गत विशेष दर से प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता देने की स्वीकृति दी जा सकती है। जहां विशेष दर ऊपर पैरा 6.1 में दी गई दर से अधिक अनुकूल हो, तो उस क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को विशेष दर का लाभ दिया जाएगा।

6.3.1 यदि कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उसी अथवा अन्य संगठन में, अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित हुए बिना एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त/विदेश सेवा पर जाता है, और यदि दूसरा संवर्ग बाह्य पद भी उसी स्टेशन पर है, जो पहले संवर्ग बाह्य पद का स्टेशन था, तो प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की दर वही रहेगी।

6.3.2 ऐसे मामलों जहां उधार लेने वाले प्राधिकारी, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में गए व्यक्ति को उसके द्वारा धारित पद में परिवर्तन किए बिना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित करता है वहां प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की दर पैरा 6.1 (ख) के अनुसार पुनर्निधारित की जाएगी।

7. <u>प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान वेतन, भत्तों एवं लाभों की ग्राह्यता</u>

7.1 उधार लेने वाले संगठन में परियोजना क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के अतिरिक्त मिलने वाला कोई परियोजना भत्ता भी ग्राह्य है।

7.2 मूल नियम 9(25) अथवा मूल संगठन के तदनुरूपी नियमों के अंतर्गत मूल विभाग में यदि किसी कर्मचारी को कोई विशेष भत्ता मंजूर किया गया है तो प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के अलावा इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल, विशेष परिस्थितियों में उधार लेने वाला विभाग, प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के अतिरिक्त अपने मूल विभाग में कर्मचारी द्वारा धारित पद से जुड़े विशेष भत्ते को पाने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की विशिष्ट व पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।

7.3 ऐसे मामलों में जहां संवर्ग बाह्य पद में वेतनमान के साथ विशेष भत्ता जुड़ा है तथा कर्मचारी द्वारा उसी वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है, तो उस वेतनमान में अपने वेतन के अरितिक्त वह ऐसा विशेष भत्ता पाने की भी हकदार होगा। बहरहाल, यदि कर्मचारी ने प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ मूल संवर्ग वेतनमान/ग्रेड पे में वेतन आहरित करने का विकल्प दिया है तो ऐसा विशेष भत्ता ग्राह्य नहीं होगा।

7.4 कर्मचारी द्वारा अपने मूल विभाग में प्राप्त किया जाने वाला वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, तो वह प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में भी ग्राह्य होगा यदि वह प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के साथ मूल संवर्ग वेतनमान/ग्रेड पे पाने का विकल्प देता/देती है। बहरहाल, इस वैयक्तिक वेतन पर कोई प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता ग्राह्य नहीं होगा।

7.5 वेतन वृद्धि - कर्मचारी अपने मूल संवर्ग ग्रेड या प्रतिनियुक्ति पद के साथ जुड़े वेतन-मान/ग्रेड पे में वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा, जैसा भी मामला हो, किंतु वह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के साथ मूल संवर्ग वेतन का विकल्प दिया है अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन का। यदि उसने प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन का विकल्प दिया है, तो पदावधि की समाप्ति पर मूल पद पर संप्रत्यावर्तन पर वेतन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उसके द्वारा मूल संवर्ग/संगठन में नियमित रूप से धारित पद पर भी उसे वेतन-वृद्धि मिलती रहेगी।

7.6 <u>प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर भत्तों तथा लाभों की ग्राह्यता</u>

(क) ऐसे भत्ते जो उधार लेने वाले संगठन में तदनुरूपी स्तर पर कार्य करने वाले नियमित कर्मचारियों के लिए ग्राह्य नहीं है, वे भत्ते प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर आने वाले अधिकारियों के लिए भी ग्राह्य नहीं होंगे, चाहे ऐसे लाभ मूल संगठन में ग्राह्य होते हों।

(ख) निम्नलिखित भत्ते उधार देने तथा उधार लेने वाले संगठन की पारस्परिक सहमति द्वारा नियमित किए जाएंगे:-

(i) मकान किराया भत्ता/परिवहन भत्ता।

(ii) कार्यभार ग्रहण करने का समय तथा कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन।

(iii) यात्रा भत्ता और स्थानांतरण यात्रा भत्ता।

(iv) बाल शिक्षा भत्ता।

(v) छुट्टी यात्रा रियायत।

(ग) निम्नलिखित भत्ते, सुविधाएं इनमें से प्रत्येक के आगे स्पष्ट किए गए नियमों के अनुसार नियंत्रित की जाएगी:

(i) महंगाई भत्ता - कर्मचारी, उधार लेने वाले या उधार देने वाले संगठन में विद्यमान दर से महंगाई भत्ता पाने का हकदार होगा किंतु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने संवर्ग बाह्य पद के समय वेतनमान/ग्रेड वेतन में वेतन पाने का विकल्प दिया है अथवा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के साथ मूल ग्रेड में वेतन का।

(ii) चिकित्सा सुविधाएं - इसे उधार लेने वाले संगठन के नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

(iii) छुट्टी - प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर गए अधिकारी को मूल संगठन के छुट्टी नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी अवकाश (वेकेशन) विभाग से अनावकाश (नॉन-वेकेशन) विभाग में या इसके विपरीत जाता है तो उस पर उधार लेने वाले संगठन के छुट्टी नियम लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति पद से वापस मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के समय, उधार लेने वाला संगठन उसकी दो महीने से अनधिक की छुट्टी स्वीकृत कर सकता है। इससे आगे की छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी को अपने संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण को आवेदन करना चाहिए।

7.7 <u>अवकाश वेतन/पेंशन/नई पेंशन योजना (एनपीसी) अंशदान</u>

(i) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान की वर्तमान व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऐसे मामलों में, केंद्र से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर या इसके विपरीत राज्य से केंद्र में जाता है तो अवकाश वेतन देने की ज़िम्मेदारी उस विभाग की है जो उसकी छुट्टी स्वीकृत करता है या जिस विभाग से कर्मचारी छुट्टी पर जाता है तथा उधार देने वाले संगठन को कोई अंशदान नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के समय पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान प्रदान करने की ज़िम्मेदारी उसके मूल विभाग की होगी, जिससे अधिकारी/कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के समय स्थायी तौर पर संबंधित है तथा प्रतिनियुक्तिदाता संगठन से कोई अनुपातिक अंशदान नहीं लिया जाएगा।

(ii) केंद्र सरकार के कर्मचारियों की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में विदेश सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति के मामले में, विदेश सेवा के दौरान ली गई छुट्टियों की अवधि को छोड़कर, अवकाश वेतन अंशदान तथा पेंशन अंशदान/अंशदायी भविष्य निधि (नियोक्ता का हिस्सा) अंशदान केंद्र सरकार को या तो स्वयं कर्मचारी देगा या उसके प्रतिनियुक्तिदाता संगठन द्वारा देय होगा।

(iii) इसके विपरीत प्रतिनियुक्ति के मामले में, केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए नियोक्ता का अंशदायी भविष्यनिधि का हिस्सा या तो स्वयं कर्मचारी द्वारा या प्रतिनियुक्ति के निबंधनों के आधार पर प्रतिनियुक्तिदाता संगठन अर्थात् केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति के निबंधनों में इस विषय पर एक स्पष्ट अनुबंध बनाया जाए कि देयता केंद्र सरकार द्वारा वहन की जानी है या कर्मचारी द्वारा।

(संदर्भ : डीओपी एंड टी के दिनांक 15 फरवरी, 2012 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-एस्ट.(पे II) को बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/1(1)/1 तहत अपनाया गया।)

(iv) नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में, उधार लेने वाला विभाग कर्मचारियों के एनपीएस लेखे में समान अंशदान देगा।

8. प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि

8.1- प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि संवर्ग बाह्य पदों के भर्ती नियमों के अनुसार होगी अथवा 5 वर्ष यदि संवर्ग बाह्य पदों के लिए कोई अवधि विनियम मौजूद नहीं है।

8.2- ऐसे मामलों में, जहां संवर्ग बाह्य पदों के भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि 5 वर्ष या उससे कम है, तो प्रशासनिक मंत्रालय/प्रतिनियुक्तिदाता संगठन अपने सचिव (केंद्रीय सरकार में)/प्रमुख सचिव (राज्य सरकार में)/समकक्ष अधिकारी (अन्य मामलों के संबंध में) से आदेश प्राप्त होने पर सेवा-अवधि छठे वर्ष तक और प्रतिनियुक्तिदाता मंत्रालय/विभाग के मंत्री तथा अन्य संगठनों के संबंध में प्रतिनियुक्तिदाता मंत्रालय/विभाग जिससे वे प्रशासनिक रूप से जुड़े हैं, के मंत्री के अनुमोदन से सातवें वर्ष तक बढ़ा सकता है।

ये आदेश दिनांक 18.05.2018 से अर्थात् डीओपी एंड टी के दिनांक 18.05.2018 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(संदर्भ : डीओपी एंड टी के दिनांक 18.05.2018 के का.ज्ञा. सं. 2/6/2018-एस्ट.(पे II) को बोर्ड के दिनांक 26.06.2018 के पत्र सं. एफ(ई)II/2018/डेप./1(1)/1 तहत अपनाया गया।)

8.3.1 यदि प्रतिनियुक्तिदाता संगठन निर्धारित कार्यावधि से अधिक समय के लिए अधिकारी को रखना चाहता है तो कार्यावधि समाप्त होने की तारीख से 6 माह पूर्व प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले संगठन, संबंधित व्यक्ति आदि से सहमति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। किसी भी दशा में सक्षम प्राधिकारी से आगे के विस्तार के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना अधिकारी को निर्धारित कार्यावधि से अधिक नहीं रोका जाना चाहिए।

यदि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और अन्य प्रतिनियुक्तिदाता संगठन किसी अधिकारी को 5 वर्ष के बाद रोकना चाहते हैं, तो वे जहां सार्वजनिक हित में पूर्णत: आवश्यक हो, एक बार में 7 वर्ष से अनधिक की अवधि तक दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-एस्ट.(पे-II) के तहत प्रतिनियुक्ति की कार्यवधि को बढ़ा सकते हैं। इसे तात्कालिक आवश्यकताओं और अन्य सभी आवश्यकताओं जैसे संबंधित अधिकारी की इच्छा और सतर्कता स्वीकृति, प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाणपत्र, संघ लोक सेवा आयोग/मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन, जहां आवश्यक हो, को ध्यान में रखते हुए प्रतिनियुक्तिदाता मंत्रालय/संबंधित विभाग के मंत्री के अनुमोदन और अन्य संगठनों के संबंध में प्रतिनियुक्तिदाता मंत्रालय/विभाग जिससे वे प्रशासनिक रूप से जुड़े हैं, के मंत्री के अनुमोदन से किया जाना चाहिए। इस प्रकार सेवावधि बढ़ाने का कोई भी मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नहीं भेजा जाएगा।

ऐसे मामलों में, जहां सात वर्ष से अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति अवधि रखने की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/प्रतिनियुक्तिदाता संगठन अपेक्षित प्रक्रिया का पालन करने के बाद तदनुसार ऐसे प्रतिनियुक्ति पद के संगत भर्ती नियमों में संशोधन कर सकते हैं। किसी प्रतिनियुक्ति अवधि को 7 वर्ष के बाद तक बढ़ाने की तब तक अनुमति नहीं है जब तक ऐसे प्रतिनियुक्ति पद के संगत भर्ती नियमों में न दिया गया हो। यह दोहराया जाता है कि कार्यावधि को 5 वर्ष से अधिक बढ़ाने का कोई भी मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नहीं भेजा जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वे मामले जो दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन के तहत शामिल नहीं किए गए हैं जिसमें केंद्रीय सरकार न तो प्रतिनियुक्तिदाता प्राधिकारी है और न ही प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाला प्राधिकारी है, के मामले भी शामिल हैं,

पर उन्हें शासित करने वाले संगत प्रावधानों/नियमों/अनुदेशों आदि के विनियमों के अनुसार निर्णय लिया जाता रहेगा।

ये आदेश दिनांक 17.02.2016 अर्थात् डीओपी एंड टी के दिनांक 17.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

(संदर्भ : डीओपी एंड टी के दिनांक 17 फरवरी, 2018 के का.ज्ञा. सं. 2/6/2016-एस्ट.(पे II) को बोर्ड के दिनांक 21.04.2016 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/1(1)/1 के तहत अपनाया गया।)

टिप्पणी: जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने अपेक्षित अनुमोदनों के साथ प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तारीख से पहले लिखित में प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा न दी हो, प्रतिनियुक्त अधिकारी को प्रतिनियुक्ति अवधि के समाप्त होने की तारीख पर कार्यभारमुक्त कर दिया जाए। यह प्रतिनियुक्त व्यक्ति अधिक न रुके यह सुनिश्चित करना तत्काल वरिष्ठ अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी। किसी भी कारण से अधिकारी के अधिक अवधि तक रुकने की स्थिति में उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है और वह अन्य प्रतिकूल सिविल/सेवा के दुष्परिणामों के लिए दायी होगा जिसमें अप्राधिकृत अधिक रुकने की अवधि को पेंशन के लिए सेवा में न लिया जाना और अप्राधिकृत अधिक रुकने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि का संचयी प्रभाव के साथ अधिकारी के मूल संवर्ग में पुन: कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक रोका जाना शामिल है। प्रतिनियुक्ति पर अधिक अवधि तक रुकने के नियमितीकरण के लिए किसी भी कार्योत्तर अनुमोदन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2012-13) के संबंध में 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के उत्तरों के 56वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया है कि प्रतिनियुक्ति संबंधी नीति में विभागों आदि के बीच कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर विचार किया गया है ताकि कर्मचारी के साथ-साथ विभागों को भी इस प्रक्रिया से लाभ प्राप्त हो सके। प्रतिनियुक्ति को अधिक आरामदायक अथवा गृह-नगर तैनातियां सुनिश्चित करने के लिए एक साधन मानने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रतिनियुक्ति जन हित में केवल तभी है जब प्रतिनियुक्त कर्मचारी की अर्हताओं और कार्य अनुभव में तर्कसंगत संबंध हो और प्रतिनियुक्ति एक उचित अवधि तक ही जारी रहे। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रतिनियुक्त अधिकारी

के अनुभव/प्रदर्शन से प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति दाता विभाग दोनों को लाभ मिले।

इसलिए, सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले सरकारी विभागों द्वारा प्रतिनियुक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाने के लिए प्रतिनियुक्तिदाता प्राधिकारियों के अनापत्ति के अनुरोधों की गहन संवीक्षा की जाए ताकि असंगत आधारों पर अवधि को बढ़ाने और अधिक रुकने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सके।

ये अनुदेश इस विषय पर पहले के कार्यालय ज्ञापनों के अतिरिक्त हैं और किसी भी प्रकार से प्रतिनियुक्त व्यक्ति को उनकी अनुमोदित अवधि के पूरा होने पर समय से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किए जाने की प्रतिनियुक्त व्यक्ति और प्रतिनियुक्तिदाता विभागों की ज़िम्मेदारी को कम नहीं करता है।

(संदर्भ : डीओपी एंड टी के दिनांक 1 मार्च, 2011 और 16 मई, 2013 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-एस्ट.(पे II) को बोर्ड के क्रमश: दिनांक 13.05.2011 और 28.06.2013 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/1(1)/1 के तहत अपनाया गया।)

8.3.2 जहां अवधि को बढ़ाया गया है, वहां संबंधित कर्मचारी ने यदि प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता लेने का विकल्प दिया है तो उसे केवल 5 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता लेने की अनुमति होगी।

(संदर्भ : डीओपी एंड टी के दिनांक 23 फरवरी, 2017 के का.ज्ञा. सं. 2/6/2016-एस्ट.(पे II) को बोर्ड के दिनांक 19.06.2017 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/1(1)/1 के तहत अपनाया गया।)

8.4 संयुक्त सचिव स्तर के पदों तक प्रत्येक प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवावधि के बाद 3 वर्ष और अपर सचिव स्तर पदों के लिए 1 वर्ष की "उपशमन अवधि" अनिवार्य होगी।

टिप्पणी-1: इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय आदि को सलाह दी जाती है कि ऐसे किसी अधिकारी का नाम प्रायोजित न करें जिसकी अधिकारी के चयनित किए जाने के समय तक अनिवार्य उपशमन अवधि पूरी न करने की संभावना हो। इसके अतिरिक्त, ऐसे किसी अधिकारी का नाम प्रायोजित करते समय जिसने उपशमन अवधि पूरी नहीं की है, वे प्रतिनियुक्तिदाता विभाग को सूचित करें कि अधिकारी को अनिवार्य "उपशमन अवधि" पूरा करने के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। "उपशमन" अवधि के लिए प्रावधानों में छूट के

प्रस्तावों पर केवल आपवादिक मामलों में ही विचार किया जाएगा। अधिकारी के संवर्ग प्राधिकारी के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसे प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ इस विभाग में अग्रिम रूप से भेजे जाएं। यह भी ध्यान दिया जाए कि किसी भी स्थिति में किसी भी अधिकारी को इस विभाग द्वारा छूट की प्रत्याशा में कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(संदर्भ : डीओपी एंड टी के दिनांक 4 जनवरी, 2013 के का.ज्ञा. सं. 2/1/2012-एस्ट.(पे II) को बोई के दिनांक 28.06.2013 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/1(1)/1 के तहत अपनाया गया।)

टिप्पणी-2: बहरहाल, केंद्रीय मंत्रियों के निजी स्टाफ में नियुक्ति के लिए उपशमन की आवश्यकता पर ज़ोर नहीं दिया जाएगा। तथापि, जिन अधिकारियों ने पिछली प्रतिनियुक्ति से अपेक्षित 'उपशमन' अवधि पूरी नहीं की है और मंत्री के निजी स्टाफ में नियुक्त हैं, उन्हें मंत्री के निजी स्टाफ में अपना कार्यकाल किसी भी कारण से समाप्त होने के बाद अपने मूल संवर्ग में वापस लौटना होगा। ऐसे अधिकारियों से एक पूर्व सहमति प्राप्त की जाए कि वे 'उपशमन' आवश्यकता पर छूट के बदले में मंत्री के निजी स्टाफ में नियुक्त होने के लिए तैयार हैं, वे इस शर्त से पूरी तरह से अवगत हैं कि मंत्री के निजी स्टाफ में उनका कार्यकाल किसी भी कारण से समाप्त होने के बाद उन्हें अपने मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाएगा और उन्हें नए सिरे से 'उपशमन' अवधि को पूरा करना होगा।

बशर्ते कि, यदि कोई अधिकारी एक मंत्री के निजी स्टाफ से अन्य मंत्री के व्यैक्तिक स्टाफ में नियुक्त किया जाता है, उपशमन पर मंत्री के निजी स्टाफ में 10 वर्षों की समग्र अधिकतम सीमा और निजी सचिव/विकाधि के रूप में 5 वर्ष की उप-सीमा के अध्यधीन जोर नहीं दिया जाएगा।

जबकि, जिन अधिकारियों को पिछली प्रतिनियुक्ति से अपेक्षित उपशमन अवधि पूरी होने के बाद मंत्री के निजी स्टाफ में नियुक्त किया जाता है, उन्हें मंत्रियों के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति की निरंतरता में, यदि विधिवत् रूप से चुना जाता है, तो प्रतिनियुक्ति की समग्र अधिकतम सीमा, प्रतिनियुक्ति से संबंधित अन्य शर्तों और मूल संवर्ग/संगठन के अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित अन्य शर्तों के अध्यधीन, किसी अन्य प्रतिनियुक्ति में नियुक्त किया जा सकता है। बहरहाल, प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता की ग्राह्यता प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति से केवल 5 वर्ष तक ही होगी।

(संदर्भ : डीओपी एंड टी के दिनांक 20 जुलाई, 2018 के का.ज्ञा. सं. 2/11/2016-एस्ट.(पे-II) को बोर्ड के दिनांक 18.10.2018 के पत्र सं. एफ(ई)II/2018/डेप./1(1)/1 के तहत अपनाया गया।)

8.5 केंद्रीय सरकार का कर्मचारी केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित न की जाने वाली राज्य सरकार/राज्य सरकार संगठनों/संघ राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार के संगठनों/स्वायत्त निकायों, ट्रस्टों, सोसायटियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में पदों पर प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के लिए 9 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और सतर्कता की ओर से अनापत्ति के बाद ही पात्र होगा।

टिप्पणी: बहरहाल, मंत्रालय/विभाग इस पर विचार कर सकते हैं और निम्नलिखित श्रेणी के मामलों में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से उक्त पैरा 8.5 में छूट की अनुमति दे सकते हैं:-

क. केंद्रीय सरकार का कर्मचारी को अपने संवर्ग में 7 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी भी राज्य, जम्मू और कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेशों में प्रतिनियुक्ति अथवा उक्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा नियंत्रित एवं वहां स्थित किसी भी संस्था में विदेश सेवा पर जाने की अनुमति दी जा सकती है।

ख. केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अपने संवर्ग में 6 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद पति/पत्नी के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों में प्रतिनियुक्ति पर अथवा राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा नियंत्रित और वहां स्थित किसी भी संस्था में विदेश सेवा पर जाने की अनुमति दी जा सकती है।

उक्त छूट में शामिल नहीं किए गए मामले रियायत के लिए विचार नहीं किए जाएंगे।

ये आदेश दिनांक 18.10.2018 अर्थात् डीओपी एंड टी के दिनांक 18.10.2018 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(संदर्भ : बोर्ड के दिनांक 05.12.2018 के पत्र सं. एफ(ई)II/2018/डेप./1(1)/1 के तहत अपनाया गया डीओपी एंड टी का दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 का ओ.एम. सं. 2/15/2017-एस्ट.(पे II))

8.6 यदि प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि के दौरान, संबंधित अधिकारी मूल संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति के कारण बाह्य-संवर्ग पद की तुलना में मूल संवर्ग में उच्चतर वेतनमान/वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का हकदार होता है, तो अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से ही अनुमोदित अपनी सामान्य/बढ़ाई गई प्रतिनियुक्ति अवधि को पूर्ण करेगा। वेतन को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

(क) यदि प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त कर लेने के बाद अधिकारी का मूल संवर्ग में ग्रेड वेतन प्रतिनियुक्ति पद से अधिक हो जाता है और यदि वह विकल्प देता है तो उसे उस पद का, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया है, के पे बैंड+ग्रेड पे में वेतन अनुमेय किया जा सकता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी को प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त होने के बाद प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने पर पैरा 8.1 से 8.3.2 में अनुबद्ध अनुदेशों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

(संदर्भ : डीओपी एंड टी के दिनांक 30 नवंबर, 2012 के का.ज्ञा. सं. 6/5/2012-एस्ट.(पे II) को बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/1(1)/1 के तहत अपनाया गया।)

(ख) यदि कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पद से जुड़े पे बैंड + ग्रेड पे में वेतन लेता है, तो अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन पर, उसे मूल संवर्ग में उसके नियमित पद में कल्पित वेतनवृद्धि+ ग्रेड वेतन देकर उसका वेतन निर्धारित किया जा सकता है।

(ग) यदि मूल संवर्ग में अधिकारी की ग्रेड पे एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने पर प्रतिनियुक्ति पद की तुलना में अधिक हो जाती है, यदि वह विकल्प देता है तो अधिकारी को पे बैंड + ग्रेड पे में वेतन लेने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए वह एसीपी/एमएसीपीएस के तहत हकदार होता है, जैसा कि डीओपीटी के दिनांक 19 मई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-एस्ट.(डी) के अनुलग्नक I के पैरा 27 में निर्धारित किया गया है।

9. प्रतिनियुक्त व्यक्तियों का समयपूर्व मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन

साधारणतया जब किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उसके मूल मंत्रालय/विभाग को सौंपी जाती है। तथापि यदि प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मूल संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन करने की स्थिति हो जाए तो संबंधित कर्मचारी के प्रतिनियुक्तिदाता मंत्रालय/विभाग तथा संबंधित

कर्मचारी को कम से कम तीन माह की अग्रिम सूचना देने के बाद उसकी सेवाएं वापस की जा सकती हैं।

10. <u>परिस्थितियों में छूट</u>

इन शर्तों में किसी प्रकार की छूट के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से **<u>पूर्वानुमोदन</u>** प्राप्त करना आवश्यक होगा।

11. <u>लागू होने की तारीख</u>

ये आदेश 1.1.2006 से लागू होंगे और उन सभी अधिकारियों पर लागू होंगे जो 1.1.2006 को प्रतिनियुक्ति पर थे।

2. **विषय:** विभिन्न देशों में ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए दैनिक भत्ते की दरें।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 24.10.2000 और 12.06.2001 के पत्र सं. एफ(ई)II/2000/एएल 1/1.

विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 01-12-2000 के उनके आदेश संख्या क्यू/एफडी/695/3/2000 तहत जारी दैनिक भत्तों की दरों को 25% की दर से कम करने के बाद विभिन्न देशों में ड्यूटी पर यात्रा के लिए दैनिक भत्ते की संशोधित दरों को बोर्ड के ऊपर संदर्भित पत्र सं के तहत रेलों पर परिपत्रित किया गया था।

वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसरण में, विदेश मंत्रालय ने दिनांक 21-09-2010 के अपने आदेश संख्या क्यू/एफडी/695/3/2000 के तहत विभिन्न देशों/क्षेत्रों में दैनिक भत्ता दरों पर लगाई गई 25% कटौती को वापस लेने का निर्णय लिया है। अनुमेय दैनिक भत्ते की संशोधित दरों की एक प्रति सूचना और मार्गदर्शन के लिए अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। दैनिक भत्ते की ये संशोधित दरें रेलों पर दिनांक 07-12-2010 से लागू हैं, जैसा कि बोर्ड के दिनांक 07-12-2010 के पत्र में यथा-अनुबद्ध है।

<u>(संदर्भ : विदेश मंत्रालय के दिनांक 21.09.2010 के आदेश सं. क्यू/एफडी/695/3/2000 को बोर्ड के दिनांक 07.12.2013 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/1(1)/1 के तहत अपनाया गया।)</u>

3. **विषय:** विभिन्न देशों में इयूटी पर यात्रा करने के लिए दैनिक भत्ते की दरें।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 07.12.2010 और 20.01.2011 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/एएल 1/1.

विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 21-09-2010 के उनके आदेश संख्या क्यू/एफडी/695/3/2000 के तहत जारी विभिन्न देशों में इयूटी पर यात्रा के लिए दैनिक भत्ते की संशोधित दरों को बोर्ड के ऊपर संदर्भित पत्र सं के तहत रेलों पर परिपत्रित किया गया था।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और दैनिक भत्ते की दरों पर यथास्थिति बनाए रखने के अनुसरण में, विदेश मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रेलों में दिनांक 07-12-2010 के पत्र के तहत अपनाए गए विदेश मंत्रालय के दिनांक 21-09-2010 के आदेश में उल्लिखित दैनिक भत्तों की दरों में किसी भी परिवर्तन के बिना विदेश इयूटी पर यात्रा के लिए दैनिक भत्ते की दरों को जारी रखा जाए।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 08.12.2020 का पत्र सं. 2020/एफ(ई)II/एएल1/1)

4. **विषय:** विदेश में सरकारी दौरों पर दैनिक भत्ते की हकदारी के लिए सरकारी अधिकारियों को कोटिकृत करना।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 04.02.1997 और 09.12.1998 के पत्र सं. एफ(ई)II/96/एएल 1/1 एवं दिनांक 07.12.2010 का पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/एएल 1/1.

विभिन्न देशों में इयूटी पर यात्रा करने के लिए दैनिक भत्ते की दरें विदेश मंत्रालय के दिनांक 11.11.1996 के आदेश सं. क्यू/एफडी/695/1/96, दिनांक 15.09.1998 के क्यू/एफडी/695/1/98 और दिनांक 21.09.2010 का क्यू/एफडी/695/3/2000 के तहत जारी की गई और इन्हें बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र के तहत परिपत्रित किया गया था।

बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के क्रम में, विदेशों में आधिकारिक दौरों पर दैनिक भत्ते की हकदारी के लिए ग्रेड पे के आधार पर सरकारी अधिकारियों को कोटिकृत करने वाले विदेश मंत्रालय के दिनांक 17.07.2012 के आदेश सं. क्यू/एफडी/695/2/2012 की एक प्रति सभी रेलों पर बोर्ड के दिनांक 27.09.2012 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)/1(1)/1

के तहत परिपत्रित की गई है। ये विदेशों में प्रतिनियुक्त रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और बोर्ड के पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(संदर्भ : विदेश मंत्रालय के दिनांक 17.07.2012 के आदेश सं. क्यू/एफडी/695/2/2012 को बोर्ड के दिनांक 27.09.2012 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)II/1(1)/1 के तहत अपनाया गया।)